Vol. 270
No. 2

Thursday,
29 January, 2026
9 Magha, 1947(Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1-2 and page 50)

Opening remarks by the chairman (pages 2-3)

Recommendations of the business advisory committee (page 3)

Matters raised with permission-

Need for comprehensive revitalisation and financial support package for the plantation sector (page 4)

Need to accord AIIMS status to Swaroop Rani Nehru Hospital (SRN Hospital), Prayagraj, Uttar Pradesh (page 5)

Need for increasing public awareness on organ donation in the country (page 6)

Concern over use of religious icons on commercial packaging and increasing non-biodegradable waste (pages 7-8)

Need for creating dedicated technology platform for local kirana stores (pages 8-9)

Need for strict regulation to curb inappropriate surrogate and adult-category advertisements during family-oriented entertainment (pages 9-10)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Demand for promotion of rural tourism, ancient temples and development of river Yamuna ghats in Uttarakhand (pages 10-11)

Need for establishment of a multi-specialty Government hospital and an ESIC hospital in Narmadapuram district, Madhya Pradesh (pages 11-12)

Need for Government's intervention to address potential cancer risks from non-stick cookware and black plastic utensils in line with preventive health approach (pages 12-13)

Need for regulation of airfares in the country (pages 13-15)

Concern over the stray dog menace in the country (pages 15-16)

Need for expeditious establishment of the Post Graduate Institute of Horticulture Research and Education (PGIHRE) in Punjab (pages 16-17)

Concern over the referring to India as a "Federation" instead of a "Union of States" and need to prevent such usage (pages 17-18)

Need for effective implementation and quality strengthening of Solar Energy Projects in the country (pages 18-19)

Concern over the paddy procurement crisis and non-disbursement of MSP to farmers in Odisha (pages 19-20)

Concern over the rising prices of gold and silver and their impact on rural households and women (pages 20-22)

Need for revising the income eligibility criteria for beneficiaries under the National Food Security Act, 2013 (pages 22-23)

Need for a legal framework to ensure the right to work beyond retirement and prevent age-based discrimination (pages 23-24)

Concern over the high Student-Teacher Ratio (STR) affecting quality of education in schools (page 24-25)

Oral Answers to Questions (pages 25-50)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

Website : http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

RAJYA SABHA

Thursday, the 29th January, 2026/9 Magha, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

Report and Accounts (2024-25) of the BBNL, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I lay on the Table:—

(1) A copy each (in English and Hindi), under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013, of the following papers: -

(a) Thirteenth Annual Report and Accounts of the Bharat Broadband Network Limited (BBNL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6179/18/26]

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

Report and Accounts (2023-24) of the NSDF, New Delhi and related papers

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया): महोदय, मैं श्रीमती रक्षा निखिल खडसे की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँः-

(a) Annual Report and Accounts of the National Sports Development Fund (NSDF), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Fund.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6118/18/26]

OPENING REMARKS BY THE CHAIRMAN

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, greetings to you all as we commence the 270th Session of Rajya Sabha, the Budget Session of the Parliament. It is indeed heartening to witness that India continues to be the fastest growing major economy in the world and it is poised to become the third largest soon. Let us remind ourselves, at the onset of this Session, that India's growing influence and stature in the global economy makes our role as parliamentarians crucial in shaping the nation's economic direction.

Guided by the hon. President's Address to both Houses of Parliament, which has set the definitive tone for our national priorities, this House shall also have its share of contribution through its core legislative and deliberative duties. Over the course of 30 sittings, we will be thoroughly examining the Union Budget 2026-27 and the legislative proposals of the Government. Further, the Department-related Parliamentary Standing Committees will have a thorough scrutiny of the Demands for Grants of the Ministries and Departments during the recess. I, therefore, call upon all hon. Members to make impactful contributions to the deliberations in the House as well as in the Committees.

Alongside critical deliberations on budgetary proposals of the Government, we have a line-up of important Bills that will be requiring a major share of transaction of Business in the House. The magnitude of the legislative work underscores our solemn responsibility to utilize every minute of the scheduled Business of the House to realise the aspirations of the people we represent.

I urge all hon. Members to contribute to exercising robust parliamentary oversight and maintaining the highest parliamentary decorum and order so as to enable the

Contents Page

House to have a meaningful transaction of the listed Business. Our democracy flourishes through diversity of views and spirited debate. Respectful exchange of opinions and constructive discussions should be the norm of our parliamentary discourse. Let us commit ourselves to a session defined by decorum, discipline and dignified conduct.

I also urge hon. Members to uphold the values of democracy, discipline and enlightenment as envisioned by the Father of the Nation, Mahatma Gandhi *ji* and I quote him: 'Democracy disciplined and enlightened, is the finest thing in the world.' Our conduct in the House should reflect this discipline and enlightenment.

I look forward to full co-operation of leaders of all Parliamentary Parties and Members in making this Session productive and a solid stepping-stone in our journey toward a prosperous, self-reliant and Viksit Bharat. Together, let us make the Budget Session a success, reflecting the highest standards of parliamentary democracy.

Now, announcement regarding Government Business.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: I have to inform the Members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on 28th January, 2026, has allotted time for Government Legislative and Other Business, as follows:

Sl. No.	**BUSINESS**	**TIME ALLOTTED**
01	Discussion on the Motion of Thanks on President's Address.	**Sixteen Hours**
02	General Discussion on the Union Budget for 2026-27	**Sixteen Hours**

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with permission. Shri Sandosh Kumar P.

Contents Page

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need for comprehensive revitalisation and financial support package for the plantation sector

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, plantation sector in Kerala is one of the main pillars of our economy, since it is the major source of export earnings and rural employment. Now, the plantation sector is under stress due to various reasons. The first one is price volatility. The second one is high input costs and ageing crops. So, this affects mainly small holders, women workers and socially backward communities. Moreover, Trump's effect is also a major threat. [£]At the same time, Sir, his tariff regime is also going to affect Kerala. We may lose, at least, Rs. 2,500 crores due to his reciprocal tariff policies. So, in this context, I would like to urge the Government, through you, Sir, to take certain steps immediately. The anti-farmer policy of the former Congress Government has also affected Kerala's farmers. Now, the BJP is vigorously following the same. I don't want to make it a political issue now; we are with the farmers.

Sir, we demand for Rs. 1,000 crore Rubber Price Stabilization Fund, jointly funded by the Government of Kerala, Government of India and the rubber users. This will be helpful to Kerala's rubber farmers. And, the support price must be enhanced to, at least, Rs. 300. Now, the Government of Kerala is giving Rs. 200, but we need to increase the same. Secondly, the Central allocation to commodity-based boards must be enhanced. This did not increase during the last many years. So, this must be increased. Thirdly, special package for replanting and rejuvenation of plants and export promotion of tea, coffee and spices has to be done. This will be a major help in promoting Kerala's plantation. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sandosh Kumar P.: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri A.A. Rahim (Kerala) and Shrimati Rajathi (Tamil Nadu).

Now, Shriman Amar Pal Maurya.

[£]Exupnged as ordered by the Chair.

Contents Page

Need to accord AIIMS status to Swaroop Rani Nehru Hospital (SRN Hospital), Prayagraj, Uttar Pradesh

श्री अमर पाल मौर्य (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रयागराज मंडल का निवासी हूँ। प्रयागराज एक ऐसा केंद्र है, जो अध्यात्म का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और न्यायिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। पूरे देश से लोग विभिन्न कारणों से प्रयागराज आते रहते हैं। प्रयागराज मंडल से जुड़े हुए ऐसे अनेक ज़िले हैं, जहाँ से लोग इलाज की दृष्टि से प्रयागराज की ओर आते हैं। चाहे वह कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो, प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, बुंदेलखंड क्षेत्र का हमीरपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो या फिर मध्य प्रदेश के सतना और रीवा जैसे जिले हों। ये सभी ऐसे जिले हैं, जिनका केंद्र बिंदु प्रयागराज है। प्रयागराज में स्थित स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज एक पुराना और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। यदि इस मेडिकल कॉलेज को AIIMS का दर्जा प्रदान किया जाता है, तो उस पूरे क्षेत्र में निवास करने वाली बड़ी जनसंख्या को स्वास्थ्य और इलाज की दृष्टि से अत्यंत लाभ प्राप्त होगा।

महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। वहां पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सरकार की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले जो एम्स की संख्या थी, उसको भारत सरकार ने 7 से बढ़ाकर 23 कर दिया है। ऐसे ही 2014 के पहले MBBS सीटों की संख्या 51,348 थी, जिसको भारत सरकार ने 130 प्रतिशत बढ़ाकर 1,18,137 करने का काम किया। मैं इसके लिए मोदी सरकार को बधाई देता हूं। मैं इस कार्य के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं प्रयाग की चर्चा कर रहा था। इससे पहले लखनऊ में स्थित डा. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को आयुर्विज्ञान का दर्जा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड, अवध और प्रयाग की जनता की लाभ की दृष्टि से यदि 'स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज' को एम्स का दर्जा दिया जाता है, तो यह वहां के समाज के इलाज की व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इतनी बात कहकर आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Amar Pal Maurya: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Narayana Koragappa (Karnataka), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri Arun Singh (Uttar Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh) and Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh).

अब, डा. कल्पना सैनी

Contents Page

Need for increasing public awareness on organ donation in the country

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड)ः सभापति महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से देश के सामने एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और मानवीय विषय पर अपना पक्ष रखना चाहती हूं और वह विषय अंगदान है। महोदय, सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। हमारे देश में अंगदान की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही है। इसके बावजूद आज की सच्चाई यह है कि भारत में लाखों लोग केवल इसलिए अपनी जान गवां देते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर आवश्यक अंग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और आंखों के अभाव में अनेक नागरिक न केवल शारीरिक पीड़ा झेलते हैं, बल्कि उनका पूरा पारिवारिक सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। हम सभी समाचार पत्रों, टीवी और डिजिटल मीडिया में आए दिन ऐसी खबरें देखते हैं कि किसी मासूम बच्चे, किसी युवा या किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु केवल अंग न मिलने के कारण होती है। जब हम इसके मूल कारण पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इसका सबसे बड़ा कारण अंगदान के प्रति जागरुकता की कमी है, समाज में फैली भ्रांतियां हैं। महोदय, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि एक व्यक्ति के अंगदान से आठ या उससे अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। फिर भी जानकारी के अभाव में लोग इस पुनीत कार्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं। यदि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें, तो महर्षि दधीचि का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने शरीर का दान किया। यदि प्राचीन काल में यह संभव था, तो क्या आज आधुनिक युग में अंगदान संभव नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि अंगदान को केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम न मानकार राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाया जाए और इसे शिक्षा, मीडिया व समाज के हर स्तर तक पहुंचाया जाए।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव यह भी है कि नीति निर्धारित कर उत्तराखंड राज्य में अंगदान का केन्द्र बनाया जाए। अंत में, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दें कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Kalpana Saini: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Khiru Mahto (Bihar), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh) and Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland).

अब श्री बृज लाल।

Contents Page

Concern over use of religious icons on commercial packaging and increasing non-biodegradable waste

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश)**:** सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज एक संवेदनशील विषय को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, जो एक साथ हमारी धार्मिक भावनाओं की पवित्रता तथा हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।

महोदय, सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में 'स्वच्छ भारत मिशन' ने देश की तस्वीर बदल दी है। अब तक 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ छह लाख से अधिक गांव और भारत के 4,234 शहरों ने अपने को Open Defecation Free घोषित कर दिया है। सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह केवल बुनियादी ढाँचे का निर्माण नहीं है, बल्कि स्वच्छता और गरिमा के प्रति एक व्यापक मानसिक परिवर्तन भी है। इसी गरिमा के भाव से, जहाँ किसी भी पवित्र वस्तु का अपमान गंदगी से हो, उचित नहीं है।

महोदय, इस समय कई ऐसे सामान मिलते हैं, जिन पर हमारे देवी-देवताओं, यहाँ तक कि हमारे पवित्र श्लोक भी लिखे रहते हैं। ये ज्यादातर वन टाइम यूज्ड प्लास्टिक पर लिखे होते हैं, जो अल्टिमेट्ली नालियों, ओपन ड्रेन्स, हमारी नदियों तथा समुद्र में पहुँचते हैं। इससे जहाँ हमारे देवी-देवताओं का अपमान होता है, वहीं पर्यावरण को भी नुक़सान पहुँचता है। इस नुक़सान से तमाम जल-जनित बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इससे जल-जनित बीमारियों के साथ-साथ जलीय जीवों को भी नुकसान पहुँचता है।

महोदय, 'स्वच्छ भारत मिशन' से देश को एक बहुत बड़ा लाभ पहुँचा है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ बरसात के समय एक बीमारी होती थी— जापानी इन्सेफेलाइटिस, जो मच्छरों से उत्पन्न हुई बीमारी थी। इस बीमारी से गोरखपुर मंडल तथा बस्ती मंडल के आस-पास के हज़ारों बच्चे काल-कवलित हो जाते थे। इस बीमारी के कारण मैंने भी अपने परिवार में अपनी एक बेटी को खोया है। 'स्वच्छ भारत मिशन' से आज यह जानलेवा बीमारी खत्म हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जिन देवी-देवताओं का अपमान इस टाइप के तमाम विज्ञापनों से होता है, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े, तो इसके लिए विधायी प्रावधान भी किया जाना चाहिए, जिससे सफाई के साथ-साथ देवी-देवताओं और पवित्र श्लोकों का अपमान रोका जा सके।

सभापति महोदय, इस अवसर पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Brij Lal: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri

Contents Page

Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir) and Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh).

Now, Shri Golla Baburao.

Need for creating dedicated technology platform for local kirana stores

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Sir, I want to raise a very important crisis being faced by nearly 80 lakh micro, macro and medium local kirana stores in the country. As the app-based deliveries and hyper-local delivery platforms, such as Blinkit, Zepto, etc., are racing ahead, the neighbourhood mom-and-pop stores, popularly known as kirana stores, find themselves at crossroads -- caught between tradition, trust and the ticking 10-minute clock of quick commerce platforms — as they are finding it impossible to match the prices and offers being offered by their online competitors resulting in closure of tens of thousands of local grocery and kirana shops every year. At least, two lakh kirana shops were being closed in the last year itself and there is continuous and consistent decline in sales volume clearly indicating the magnanimity of the problem.

Sir, the House is aware, over the past few years, digital platforms have reshaped consumer behaviour through deep discounts, rapid delivery promises and aggressive marketing campaigns. The result is that the kirana stores witness dramatic reduction in footfall and sales. Worse than this is that the platforms are turning them into delivery personnel or last-mile service agents!

Under the leadership of the hon. Prime Minister Modi*ji*, the Government of India has launched a cooperative ride-hailing platform, Bharat Taxi, with zero-commission mode which proved to be a great sigh of relief to cab drivers who have, otherwise, been fleeced by corporate taxi apps like Ola and Uber, etc. This is the world's first national mobility service fully owned and run by drivers.

Looking at this, I strongly appeal to the Government and the hon. Prime Minister to urgently step-in to create a fair competitive environment and empower local kirana stores with right technology by creating a dedicated technology platform where customer orders are routed to nearby kirana shops with the order going to the first store that accept it. This will save not only our local Kirana stores but also stop dwindling

Contents Page

livelihood of millions of Kirana shop owners and their families whose livelihood is depending on this. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Gola Baburao: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Now, Dr. K. Laxman Garu.

Need for strict regulation to curb inappropriate surrogate and adult-category advertisements during family-oriented entertainment

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for allowing me to raise an important issue concerning every parent in the society. It is a matter of public importance. It is about increasing surrogate and adult-category advertisements during programmes that are widely watched by families, especially by our young children.

Sir, cricket is not just a sport in India, it is an emotional attachment for the entire nation. But, it is viewed collectively, particularly, during matches, by the entire family - grandparents, parents and children. During such high-viewership events, the nature of advertisements shown has a deep impact on impressionable minds. Sir, we are witnessing promotion of products like *pan masala, gutka*, alcohol and other adult products, through surrogate branding, being endorsed by film stars, celebrities, and particularly, cricketers themselves. These advertisements are using substitute product categories such as music CDs, bottled water, lifestyle merchandise, and retaining the same brand identity, colours, jingles, and ambassadors associated retaining the same with adult products. The intention is unmistakable--to enforce adult category brands during prime-time and family-viewing.

Sir, my concern is this. What is the message that we are sending to the society when these children are exposed to brands repeatedly during live matches and other forms of entertainment? Research globally shows that such exposure can shape consumer perception and what particularly concerning is the same pattern now being expanded to OTT content, award shows, music events and even influencer-driven digital spaces.

Contents Page

There are some regulatory provisions -- I don't say that there aren't anything to restrict -- like ASCI guidelines, cable regulations and other frameworks. But, still, I suggest that some stringent regulatory enforcement is needed, and to strengthen the monitoring of surrogate advertisements, we need to clearly define what constitutes indirect promotion and consider restricting such advertisement during content predominantly consumed by families and minors. I also appeal to this House and all the hon. Members to see that celebrities are prevented from promoting advertisements, especially sportsmen and even film stars. It is because every parent wants his child to have a bright future. I thus appeal to the Government in order to save the lives of children.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. K. Laxman: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir) and Shri Deepak Prakash (Jharkhand).

Now, Shri Naresh Bansal.

Demand for promotion of rural tourism, ancient temples and development of river Yamuna ghats in Uttarakhand

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड)**:** सभापति महोदय, मैं देव भूमि उत्तराखंड में ग्रामीण पर्यटन, विश्व प्रसिद्ध चारधाम के अलावा राज्य में अन्य स्थानों पर स्थित धार्मिक महत्व के पुरातन मंदिरों की श्रृंखला जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की माँग करता हूँ।

महोदय, ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधारित पर्यटन है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान होता है। देवभूमि उत्तराखंड पौराणिक धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण एक अत्यंत सुंदर क्षेत्र है, जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवन की हलचल से दूर शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश करने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू जैसी विभिन्न नदियों को संजोए यह क्षेत्र विदेशी पर्यटकों और अपने देश के पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। यह गंगा स्नान और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह विश्राम और पानी के खेल के लिए भी आदर्श है। यह शहर और क्षेत्र पर्यटकों को ट्रैकिंग, कैम्पिंग और समृद्ध वनस्पतियों की खोज का अवसर प्रदान करता है। लखमंडल, पाताल भुवनेश्वर आदि प्राचीन गुफाओं सहित यह ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ कई वाटरफॉल्स, जंगल और रमणीक स्थल हैं। इसके साथ ही

Contents Page

यहाँ काफी प्राचीन मंदिर भी हैं, जैसे लखमंडल, हनोल मंदिर, धारी देवी। लगभग हर गाँव और शहर में प्राचीन काल के धार्मिक महत्व के चिन्ह विराजमान हैं।

इसके अलावा गंगा पर सभी स्थानों पर धार्मिक महत्व का कार्य जहां संतोषजनक है, वहीं यमुना नदी पर घाटों का निर्माण, स्नान व्यवस्था, नित्य आरती का भी ठोस इंतजाम होना बाकी है। यहां पर कई पौराणिक महोत्सव और मेले होते हैं, जोकि काफी सालों से पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान बन चुके हैं। उत्तराखंड में ऐसे कई identified places और undeveloped villages हैं, जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि पर्यटन के इस रूप के विकास के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन देवभूमि उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरेगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीन पर्यटन मंत्री जी से आग्रह है कि उत्तराखंड, जोकि माननीय प्रधान मंत्री जी के दिल में बसा है, के सम्पूर्ण पर्यटन विकास खासतौर पर ग्रामीण पर्यटन और यमुना घाटों का निर्माण, पौराणिक मंदिर सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। हमें विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उचित वित्तीय सहायता से उत्तराखंड की पर्यटन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Naresh Bansal: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh).

Now, Shrimati Maya Naroliya.

Need for establishment of a multi-specialty Government hospital and an ESIC hospital in Narmadapuram district, Madhya Pradesh

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना की अति आवश्यक सुविधाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शानदार कार्य कर रही है। हमारा नर्मदापुरम जिला मां नर्मदा के नाम से पहचाना जाता है। जिले की बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बावजूद हमारी वर्तमान सरकारी चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से अपर्याप्त हैं और वे क्षमता से अधिक भार झेल रही हैं। मेरे नर्मदापुरम क्षेत्र के नागरिकों को विशेषज्ञ उपचार, उन्नत निदान और आपातकालीन सेवाओं के लिए भोपाल या अन्य बड़े शहरों की महंगी

Contents Page

और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह स्थिति विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अत्यंत असहनीय है। इसके अतिरिक्त नर्मदापुरम में कार्यरत संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बड़ी संख्या में ईएसआईसी लाभार्थी श्रमिकों को ईएसआईसी अस्पताल की अनुपस्थिति के कारण समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, जिससे उनका वित्तीय और शारीरिक बोझ बढ़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ कि नर्मदापुरम जिले में नए बहु-विशेषता वाले सरकारी अस्पतालों की स्थापना को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय के तहत ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना की प्रक्रिया को शीघ्रता से प्रारंभ करने की भी प्रार्थना करती हूँ। इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित कर राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भूमि आवंटन और प्रशासनिक मंजूरी को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यह मामला जिले के लाखों नागरिकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि सरकार इस अति आवश्यक विषय पर तत्काल ध्यान देगी।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Maya Naroliya: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh) and Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh).

Next speaker, Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

Need for Government's intervention to address potential cancer risks from non-stick cookware and black plastic utensils in line with a preventive health approach

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आज देश के लगभग सभी करोड़ों घरों में दैनिक जीवन में खाना पकाने और भोजन में प्रयुक्त वस्तुओं में नॉन-स्टिक कुकवेयर, प्लास्टिक के बर्तन, पानी की बॉटल्स और प्लास्टिक आधारित खाद्य पैकेजिंग का व्यापक उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि उच्च तापमान पर नॉन-स्टिक कोटिंग्स और निम्न गुणवत्ता वाले प्लास्टिक से हानिकारक रसायन भोजन में मिल सकते हैं। ये रसायन शरीर के हार्मोन तंत्र को प्रभावित करते हैं और इससे लंबे समय में कैंसर, प्रजनन समस्याओं तथा चय-अपचय विकारों से हार्मोनल इम्बैलेंस (मधुमेह) का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी कारण अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने इनके उपयोग को लेकर स्वास्थ्य परामर्श जारी किए हैं।

सभापति महोदय, हालिया अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि प्लास्टिक बोतलों में पैक्ड पेयजल में सूक्ष्म माइक्रो प्लास्टिक कण मौजूद होते हैं। ये कण पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम, सूजन प्रक्रिया, हार्मोनल संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पुराने जमाने में हिन्दुस्तान की पारंपरिक भारतीय रसोई में प्रयुक्त मिट्टी, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील जैसे बर्तन लंबे समय से सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए

Contents Page

उपयुक्त माने जाते रहे हैं। दुर्भाग्यवश आज देश में नॉन-स्टिक और प्लास्टिक से बने खाद्य सम्पर्क उत्पादों के लिए सुरक्षित ताप सीमाएँ, रसायन माइग्रेशन मानक, लेबलिंग व्यवस्था तथा नियमित जाँच को लेकर एक कठोर और एकीकृत राष्ट्रीय नियामक ढाँचा स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि नॉन-स्टिक कुकवेयर और प्लास्टिक खाद्य सामग्रियों की राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक जाँच कराई जाए; खाद्य सम्पर्क उत्पादों के लिए स्पष्ट सुरक्षा मानक और अनिवार्य लेबलिंग तय की जाए; बाजार में उपलब्ध उत्पादों की नियमित जाँच और कठोर नियामक प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए और नागरिकों के सुरक्षित कुकवेयर के चयन हेतु राष्ट्रव्यापी जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाए।

सभापति महोदय, यह अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय है। यह दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय है और रोग निवारण का विषय है। यह हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि इसके साथ हमारे जितने भी कुकवेयर्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बाजार में खाद्य पैकेजिंग के माध्यम से जितनी भी जहरीली चीजें हमारे बीच उपलब्ध हैं, आज इससे एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। इन सारी चीजों के लिए तुरंत एक दृष्टि से जनता में सुरक्षा का अभियान चलाना भी जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक जाँच का आयोग बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण हमारे अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय पर वैज्ञानिक आधार पर भविष्य में प्रभावी व्यवस्था का निर्माण होगा। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri Haris Beeran (Kerala) and Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh).

Now, Dr. John Brittas.

Need for regulation of airfares in the country

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, in the last many years, Members, including me, were pointing out the blatant exploitation of air passengers, mainly on account of duopoly and abject abdication of responsibility by the Government. I myself had narrated the misery and agony of the *pravasi* Malayalis, who are fleeced every year when they come for any festival. I had insisted on the floor of the House that Rule 135,

Contents Page

Clause 4 of Aircraft Rules, 1937, empowers the DGCA to issue binding directions against excessive predatory pricing and oligopolistic practices. The Government was on a denial mode. They said that the market will be driven by demand-supply criteria. When the Indigo Fiasco happened, the Government reluctantly invoked this Act. Now, is it not a fact that we have been telling to please act to protect the interest of the air passengers?

If you look at the airfare hike in this country, pre-pandemic and post-pandemic, when we stand in 2026, there is almost 120 per cent increase. The Government has been boasting about giving discount on GST. Sir, if you fly from Delhi to Trivandrum, that relief is wiped out. Sir, even in the citadel of capitalism, the United States, no single domestic airline holds 25 per cent share. In China, even the three largest airlines put together will not be crossing 60 per cent. Here, two airlines hold 90 per cent shares! Sir, I had written a three-page letter to the hon. Prime Minister describing about the whole gamut of issue and seeking rectification. When the hon. Minister admitted that there is a duopoly and we need to deal with it, I expected that the President's Address would have some policy initiative on this.

Sir, let me just tell about the safety of the passengers, because it is all related aspects. The Learjet 45 of the same operator crashed. We are here, just a day after the fatal accident which killed the Deputy Chief Minister of Maharashtra. After two-and-a-half years, the investigation report has not come. What has happened to Ahmadabad plane crash, Sir? We don't know what actually the reason for this crash is.

Sir, at Kannur International Airport, -- hon. Scindiaji is aware of that -- you are denying the point of call, allowing the cartel to increase the rates. [£] Now, the new Minister has taken charge. After so many years, they are allowing the passengers to be fleeced. I request the Government to look into the whole gamut of issues. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. John Brittas: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Shri Haris Beeran (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala),

---

[£] Exupnged as ordered by the Chair.

Contents Page

Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri A.A. Rahim (Kerala) and Shri P. P. Suneer (Kerala).

Now, Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia — hon. Member not present. Next, Shri S. Selvaganabathy.

Concern over the stray dog menace in the country

SHRI S. SELVAGANABATHY (Puducherry): Mr. Chairman, Sir, my subject is about stray dog menace in India. India today faces a serious challenge with the growing population of stray dogs. Estimates suggest that there are over three crore stray dogs across the country, and their unchecked rise has created multiple problems for society. Frequent dog bites have become a major concern, especially for children and the elderly. Rabies, a fatal disease, continues to claim thousands of lives every year. Stray dogs often scavenge in garbage dumps, spread litter, and increase the risk of infections. Continuous barking at night disturbs sleep, while aggressive dogs create fear among pedestrians, cyclists, and school-going children. Dogs chasing vehicles, or, suddenly crossing roads cause accidents, endanger both humans and animals.

Sir, to control the menace, large-scale corrective actions are needed, which includes animal birth control programme. A major programme needs to be implemented to reduce dog population growth and prevent rabies. Proper disposal of garbage will cut off food supply and discourage stray dog gatherings. Educating communities about responsible pet ownership and discouraging abandonment; creating dog shelters and promoting adoption can reduce the number of strays on the streets. Strong coordination between civic bodies, veterinary services, and NGOs is essential for sustainable solutions.

Sir, I also learnt that the Worldwide Veterinary Service, an NGO from the United Kingdom, has come forward to aid the Government in sterilisation of stray dogs. The organisation has already done significant work in the State of Goa and is ready to extend the sterilisation process to all States and the Union territories. Further, the Government should mandatorily implement regulations regarding issuing licences for possessing domestic dogs at home and require muzzles while taking them out in public.

Before I conclude, Sir, I would like to say that the stray dog menace is not just an animal welfare issue, but also a public health and safety challenge. With a humane, scientific, and community-driven approach, India can control the stray dog population

only through an effective sterilisation programme implementation throughout the country on a war-footing basis.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri S. Selvaganabathy: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Dr. John Brittas (Kerala), and Shrimati Rajathi (Tamil Nadu).

Need for expeditious establishment of the Post Graduate Institute of Horticulture Research and Education (PGIHRE) in Punjab

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित): चेयरमैन साहब, मैं पंजाब के किसानों और खेती से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूं।

सर, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पंजाब में horticulture को बढ़ावा देने के लिए, 2015-16 के बजट में पंजाब को Post Graduate Institute Of Horticulture Education And Research देने का फैसला किया था। उनकी स्पष्ट सोच थी कि पंजाब के किसान को traditional wheat, paddy cycle से बाहर निकाल कर high value horticulture की ओर ले जाया जाए।

चेयरमैन साहब, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा पंजाब, प्रधान मंत्री जी के इस तोहफे को जमीन पर नहीं उतार पाया। पिछले 10 वर्षों से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है। एक दशक का कीमती समय बरबाद हो चुका है। आज 2026 में, जब हम 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह स्वीकार करना होगा कि 10 साल पुरानी योजना आज की नई संभावनाओं और चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है।

चेयरमैन साहब, पंजाब में 7 परसेंट से कम जमीन पर horticulture होने के बावजूद, horticulture पैदावार, जो 2011 में 6,267 करोड़ रुपये की थी, वह अब 26,580 करोड़ रुपये को पार कर चुकी है और इसमें अभी भी अपार संभावनाएं बाकी हैं। पंजाब का किसान आज हॉर्टिकल्चर को positively adopt करने लगा है। यदि पंजाब में इस संस्थान को push किया जाए, तो किसान crop diversification की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकता है।

चेयरमैन साहब, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पंजाब का किसान हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

चेयरमैन साहब, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को Post-Graduate Institute से अपग्रेड करके Central Horticultural University बनाया जाए और इसकी जल्दी establishment ensure की जाए। पंजाब में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी establish करने के पीछे कई ठोस तर्क हैं।

Contents Page

हमारे लिए यह गर्व की बात है कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन के साथ इसी हफ्ते एफटीए साइन किया है, जिसे लोग 'मदर ऑफ ऑल डील्स' भी कहते हैं। इससे एग्री-एक्सपोर्ट के लिए नई संभावनाएँ पैदा हो गई हैं। इस स्थिति में यह विश्वविद्यालय यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चेयरमैन साहब, यूनिवर्सिटी बनने से यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग, टेस्टिंग लैब्स होंगी और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित होंगे, जिससे पंजाब का फल-सब्जी सीधे ग्लोबल मार्केट में जा सकेगा। यह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में value addition और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी और पंजाब के युवाओं के लिए agri-entrepreneurship के द्वार भी खोलेगी। चेयरमैन साहब, प्रधान मंत्री जी के पंजाब के प्रति अटूट प्रेम को देखते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि इसे 'प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha), associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri Satnam Singh Sandhu.

डा. भीम सिंह जी।

Concern over the referring to India as a "Federation" instead of a "Union of States" and need to prevent such usage

डा. भीम सिंह (बिहार): माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है - भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, India, that is, *Bharat*, shall be a Union of States. स्पष्ट है कि भारत एक यूनियन है, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों द्वारा जाने या अनजाने पहले इसे quasi-federation बताया गया और अब इसे सीधे फेडरेशन बताया जाने लगा है। भारत को फेडरेशन बताया जाना एक खतरनाक प्रवृति है। इस खतरनाक प्रवृति के दर्शन हमें बोलचाल के साथ-साथ साहित्य और समाचार पत्रों में भी होने लगे हैं। यहाँ तक कि प्रभावशाली लोगों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। संसद के अंदर भी इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है। भारत या भारत के संविधान को फेडरल स्ट्रक्चर बतलाना संवैधानिक और ऐतिहासिक रूप से गलत है। ऐसा कहना राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए घातक है। स्वतंत्रता के पहले भारत के संविधान के स्वरूप पर व्यापक चर्चा हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किया था। अंग्रेजों तथा मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के समझौता वार्ता के क्रम में एक समय ऐसा भी आया था, जब भारत विभाजन को रोकने के लिए कमजोर केंद्र के साथ फेडरल स्ट्रक्चर के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, परंतु इसे अनुपयुक्त मान कर नकार दिया गया था। निर्णय लिया गया कि भारत का संविधान मजबूत केंद्र के साथ unitary होगा। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत सरकार कड़े कदम उठाते हुए इस प्रवृति पर अविलंब रोक लगाए और इसे अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया जाए कि भारत का संविधान unitary, यानी संघीय है, न कि फेडरल, यानी परिसंघीय।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter

Contents Page

raised by the hon. Member, Dr. Bhim Singh: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), and Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan).

श्रीमती संगीता यादव।

Need for effective implementation and quality strengthening of Solar Energy Projects in the country

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सौर योजना परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सद्दढ़ीकरण के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन एवं गुणवत्ता सुद्दढ़ीकरण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम, मैं सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए सभी प्रभावी कदमों, राष्ट्रीय सौर मिशन तथा सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निरंतर वृद्धि के लिए माननीय मंत्री जी की सराहना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद जमीनी स्तर पर सौर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इससे जुड़ी हुई कई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जैसे तकनीकी मानकीकरण की कमी हो रही है, गुणवत्ता नियंत्रण में असमानता, ग्रिड एकीकरण की समस्याएँ हो रही हैं। परियोजनाओं के नियमित रख-रखाव और उनका दीर्घकालीन संचालन सुनिश्चित करने में भी कुछ कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर तो कुछ घटिया उपकरणों का उपयोग करने की बातें भी सामने आई हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, हमें घरेलू विनिर्माण को पर्याप्त प्रोत्साहन देने एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की भी आवश्यकता है, ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। छोटे उपभोक्ताओं, किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने में वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ भी सामने रही हैं और वे भी एक बड़ी बाधा बन रही हैं। सब्सिडी प्रक्रियाओं को भी हमें और सरल बनाने की आवश्यकता है। हमें सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार, दोनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इन सभी पहलुओं पर समग्र एवं ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ, गुणवत्ता मानकों को और सुद्दढ़ किया जाए और सौर ऊर्जा को अधिक किफायती, विश्वसनीय और

Contents Page

व्यापक रूप से सुलभ बनाया जाए, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और सुदृढ़ हो सके। माननीय सभापति जी, आपका आभार!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Sangeeta Yadav: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh) and Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat).

Dr. Sandeep Kumar Pathak — not present. Shri Niranjan Bishi.

Concern over the paddy procurement crisis and non-disbursement of MSP to farmers in Odisha

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): [&] Hon. Chairman Sir, thank you for giving me the opportunity to raise this very pertinent issue of farmers' distress arising due to the collapse of paddy procurement in the State of Odisha in this August House. Sir, Odisha is an agrarian State where farming is the mainstay of the people. However, during the present Kharif season, paddy is not being lifted from the mandis. Farmers are not receiving procurement tokens, and even those who have received tokens are facing serious difficulties, as their paddy is not being lifted by the millers. As a result, farmers are under immense distress.

Sir, there is no effective online mechanism for paddy procurement, which is further aggravating the problems of the farmers. On the other hand, while the Government of India has fixed the Fair Average Quality (FAQ) limit at 17%, the Government of Odisha, under the guise of a 15% FAQ, is forcing farmers to forgo 8 kg of paddy per quintal on the pretext that the produce is not of fair average quality—locally referred to as *katni-chhatni*. This practice is causing huge losses to the farmers and must be looked into urgently.

Sir, farmers have been consistently demanding that the FAQ limit be fixed at 20–22%. However, despite a 17% FAQ being applicable in other States, Odisha has restricted it to 15%, coupled with the additional burden of deducting 8 kg per quintal in the name of *katni-chhatni*. This discriminatory practice is pushing farmers further into distress.

[&] English translation of the original speech delivered in Odia.

Contents Page

Sir, for the State of Odisha, the procurement ceiling has been fixed at 73 metric tonnes of paddy. However, as of now, only about 24 metric tonnes have been lifted. In this situation, it is highly questionable how the remaining quantity will be procured within the remaining short period. Further, Sir, the Government of Odisha has fixed a procurement ceiling of 150 quintals per farmer. There are many medium and large farmers in the State who are adopting modern farming techniques, using modern agricultural equipment, and cultivating hybrid varieties of paddy. On average, such farmers are producing much more than the prescribed ceiling. In this scenario, once the Government procures only 150 quintals, the remaining produce is forced to be sold in the open market at distress prices, far below the Minimum Support Price, causing severe financial losses to the farmers.

Further, Sir, the Government of Odisha has fixed a procurement ceiling of 150 quintals per farmer. There are many medium and large farmers in the State who are adopting modern farming techniques, using modern agricultural equipment, and cultivating in hybrid mode. In this given scenario, if the Government procures only 150 quintals, the remaining 300—400 quintals are forced to be sold in the open market at distress prices of merely Rs. 1,400 to Rs. 1,500 per quintal.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Niranjan Bishi: Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shrimati Sulata Deo, Shri Muzibulla Khan (Odisha) and Shri Sanjay Yadav (Bihar).

Shri Neeraj Dangi.

Concern over the rising prices of gold and silver and their impact on rural households and women

श्री नीरज डांगी (राजस्थान)**:** माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसने ग्रामीण भारत, विशेष रूप से महिलाओं एवं विवाह-योग्य परिवारों की कमर तोड़कर रख दी है। अगर हम पिछले 13 महीनों, यानी दिसम्बर, 2024 से लेकर जनवरी, 2026 के आंकड़ों को देखते हैं, तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306 प्रतिशत की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में लगभग सात हज़ार रुपये प्रति ग्राम थी, वह आज बढ़कर पंद्रह हज़ार रुपये प्रति ग्राम हो गई है। इसी प्रकार, चाँदी की कीमत, जो

Contents Page

दिसंबर 2024 में लगभग नब्बे हज़ार रुपये प्रति किलोग्राम थी, वह आज बढ़कर तीन लाख अस्सी हज़ार रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बाजार में देखने को मिल रही है। जिस देश में सोना और चाँदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं, वहाँ इनकी कीमतों को इस प्रकार बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सोना-चाँदी केवल आभूषण नहीं हैं, बल्कि आपातकालीन बचत, महिला का एकमात्र आर्थिक सहारा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन हैं। किंतु आज स्थिति यह है कि किसान, श्रमिक और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद पाने में असमर्थ हो गए हैं। जिन मध्यमवर्गीय परिवारों ने अपने विवाह 6 माह पूर्व या उससे अधिक अवधि के पूर्व निश्चित कर दिए थे, उन पर सोने एवं चांदी के अकस्मात उछले दामों ने मानो पहाड़ ही गिरा दिया है। अनेक परिवार विवाह टालने को मजबूर हैं, जिससे सामाजिक असुरक्षा बढ़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी तथा सट्टेबाजों और जमाखोरों पर नियंत्रण न रखकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीतियाँ आम महिलाओं को सज़ा देने का काम कर रही हैं और दूसरी ओर सरकार जमाखोरों को संरक्षण प्रदान कर रही है। विवाह के समय सोने-चाँदी की बढ़ती कीमतों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुँचाया है। इससे न केवल परिवार प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि पारंपरिक आभूषण उद्योग, कारीगर, सुनार और छोटे व्यापारी भी रोजगार संकट में फँसते जा रहे हैं। महोदय, यह प्रश्न आज केवल कीमतों का नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, महिला गरिमा और ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिरता का है।

अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से आग्रह करता हूँ कि सोना एवं चाँदी की कीमतों में तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप किया जाए। आयात शुल्क और जीएसटी में अविलंब कटौती की जाए तथा सट्टेबाजी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं, बल्कि देशहित में एक मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेते हुए तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाएगी।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Chandrakant Damodar Handore (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri P.P. Suneer (Kerala), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Ashok

Singh (Madhya Pradesh), Shri Haris Beeran (Kerala) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Shri A. D. Singh; not present. Shri Javed Ali Khan.

Need for revising the income eligibility criteria for beneficiaries under the National Food Security Act, 2013

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सभापति जी। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन और सरकार के सामने उठाना चाहता हूँ। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, जो इस देश के गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ। कोरोना काल में, जब देश पर भारी संकट आया था, तब इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार ने देश के गरीबों को निशुल्क राशन देने की व्यवस्था की।

सभापति महोदय, इस अधिनियम को बने हुए तेरह वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया ज्यों का त्यों है। वर्ष 2013 में जब यह अधिनियम बना था, तब ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक दो लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति को गरीब माना गया था और उसे इसका लाभार्थी बनाया गया था। वहीं शहरी क्षेत्रों में तीन लाख रुपये वार्षिक आय जिसकी थी, उसे इसका लाभार्थी बनाया गया था। लेकिन इन तेरह वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। महंगाई में भारी वृद्धि हुई है। हमने अन्य कई क्षेत्रों में आय की सीमाओं में revision किया है। आयकर की सीमा में हमने काफी वृद्धि की है। वर्ष 2016 के बाद पे कमीशन आया, जिससे कर्मचारियों के वेतन बढ़े। मनरेगा की मजदूरी, जो 2013 में 155 रुपये थी, वह आज लगभग 280 रुपये हो चुकी है। यहाँ तक कि हम सांसदों का वेतन भी बढ़ा है, लेकिन हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया जो ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में तीन लाख रुपये था, उसे आज तक नहीं बढ़ाया।

सभापति महोदय, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक अर्थशास्त्र के जानकार से इस विषय में जानकारी चाही कि 2 लाख रुपये की जो हैसियत वर्ष 2013 में थी, वह आज कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर calculation करके बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2 लाख रुपये की आय सीमा वर्ष 2013 में थी, वह आज लगभग 3 लाख, 60 हजार रुपये होनी चाहिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जो 3 लाख रुपये की सीमा थी, उसे आज बढ़ाकर लगभग 5 लाख, 40 हजार रुपये किया जाना चाहिए।

यह आय सीमा होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सीमा को, जो गरीबों की पात्रता का मुफ्त राशन पाने के लिए जो eligibility criteria है, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अकेले मेरे उत्तर प्रदेश में 17 लाख राशन कार्ड कैंसिल होने के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कैंसिल करना चाहती है, क्योंकि वे आय सीमा से ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर ऐसा अनर्थ होगा, तो गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का लाभ देने के लिए लाभार्थियों की आय सीमा को बढ़ाया जाए।

Contents Page

[†] **جناب جاوید علی خان(اتر پردیش):** دھنیواد سبھاپتی جی۔ میں ایک اتینت مہتوپورن مدعا سدن اور سرکار کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں،۔ سال 2013 میں راشٹریہ کھادھیہ سرکشا ادھنیم سنسد دوارہ پارِت کیا گیا تھا، جو اس دیش کے غریبوں کے لیے ایک وردان ثا□ت ہوا۔ کورونا کال میں، جب دیش پر□ھاری سنکٹ آیا تھا، تب اسی ادھنیم کے پراودھانوں کے تحت سرکار نے دیش کے غریبوں کو مفت راشن دینے کا انتظام کیا۔

سبھاپتی مہودے، اس ادھنیم کو□نے ہوئے تیرہ سال ہوچکے ہیں، لیکن اسکی پاترتا یعنی ایلجبلٹی کرائٹیریا جیوں کا تیوں ہے۔ سال 2013 میں جب یہ ادھنیم□نا تھا، تب گرامین شیتروں میں وارشک دو لاکھ روپے تک کی آمدنی والے شخص کو غریب مانا گیا تھا اور اسے اسکا لا□ھارتھی□نایا گیا تھا۔ وہیں شہری شیتروں میں تین لاکھ روپے وارشک آئے جسکی تھی، اسے اسکا لا□ھارتھی□نایا گیا تھا۔ لیکن ان تیرہ سالوں میں□ہت کچھ□دل گیا ہے۔ مہنگائی میں□ھاری وِردھی ہوئی ہے۔ ہم نے انیہ کئی شیتروں میں آمدنی کی سیماؤں میں revision کیا ہے۔ آئکر کی سیما میں ہم نے کافی وردھی کی ہے۔ سال 2016 کے□عد پے کمیشن آیا، جس سے کرمچاریوں کے ویتن □ڑھے۔ منریگا کی مزدوری، جو 2013 میں 155 روپے تھی، وہ آج لگ□ھگ 280 روپے ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ ہم سانسدوں کا ویتن□ھی□ڑھا ہے، لیکن ہم نے اسکا ایلجبلٹی کرائٹیریا جو گرامین شیتروں میں دو لاکھ روپے اور شہری شیتروں میں تین لاکھ روپے تھا، اسے آج تک نہیں□ڑھایا۔

سبھاپتی مہودے، میں ارتھ شاستر کا ودیارتھی نہیں ہوں،، لیکن میں نے ایک ارتھ شاستر کے جان کار سے اس وشیہ میں جانکاری چاہی کہ 2 لاکھ روپے کی جو □یثیت سال 2013 میں تھی، وہ آج کتنی ہونی چاہیئے۔ انہوں نے کنزیومر پرائس انڈیکس کے آدھار پر calculation کرکے□تایا کہ گرامین شیتروں میں جو 2 لاکھ روپے کی آمدنی سیما سال 2013 میں تھی، وہ آج لگ□ھگ 3 لاکھ، 60 ہزار روپے ہونی چاہیئے۔ اسی پرکار شہری شیتروں میں جو 3 لاکھ روپے کی سیما تھی، اسے آج□ڑھاکر لگ□ھگ 5 لاکھ، 40 ہزار روپے کیا جانا چاہیئے۔

یہ آئے سیما ہونی چاہیئے۔ میرا آپکے مادھیم سے سرکار سے انورودھ ہے کہ اس سیما کو، جو غریبوں کی پاترتا کا مفت راشن پانے کے لیے جو eligibility criteria ہے، اسکو□ڑھایا جائے، کیونکہ اکیلے میرے اتر پردیش میں 17 لاکھ راشن کارڈ کینسل ہونے کے کگار پر ہیں۔ اتر پردیش کی سرکار انکو کینسل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ آئے سیما سے زیادہ□ڑھ گئے ہیں۔ اگر ایسا انرتھ ہوگا، تو غریبوں کے ساتھ□ہت انیائے ہوگا۔ کھادھیہ سرکشا ادھنیم، 2013 کا لا□ھ دینے کے لیے لا□ھارتھیوں کی آئے سیما کو□ڑھایا جائے۔

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Javed Ali Khan: Shri Ramji Lal Suman (Uttar Pradesh), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Now, Shri Rajinder Gupta.

Need for a legal framework to ensure the right to work beyond retirement and prevent age-based discrimination

[†] Transliteration in Urdu script.

SHRI RAJINDER GUPTA (Punjab): Hon. Chairman, Sir, thank you for providing me this opportunity. I rise to draw the attention of this august House to a serious and emerging policy gap concerning the employment rights of the senior citizens. India is undergoing a rapid demographic transition, with the population aged 60 years and above having crossed 140 million and projected to exceed 230 million by 2036, as per the official estimates. With life expectancy now around 70 years, the country has a large pool of healthy, skilled and experienced senior citizens who are willing and capable of contributing productively well beyond the conventional age of retirement. However, India presently lacks a comprehensive legal framework to prohibit age-based discrimination in employment or to recognise the right to work beyond retirement, based on ability rather than age. While Articles 14 and 16 of the Constitution guarantee equality, age-based exclusion in employment is treated as a policy matter, and post-retirement engagement is largely confined to ad hoc extensions or contractual arrangements. This disproportionately affects senior citizens in the private and informal sectors, where legal protections are minimal.

In contrast, several countries have enacted progressive laws to promote active ageing. The United States, the United Kingdom, the European Union, Australia, Canada and Japan, where over 29 percent of the population is above 65 years, have prohibited age-based discrimination and enabled continued employment of older persons.

I, therefore, urge the Government to initiate a comprehensive legal framework to prohibit age-based discrimination and facilitate the right to work beyond retirement for willing and capable senior citizens, with flexibility and safeguards. Thank you, Sir. *Jai Hind; Jai Bharat.*

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Rajinder Gupta: Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. John Brittas (Kerala).

Now, Dr. V. Sivadasan.

Concern over the high Student-Teacher Ratio (STR) affecting quality of education in schools

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, in India, lakhs of students are unable to go to the schools. They work in fields in different parts of the country. The students are trying to get the jobs. In this situation, we are able to see the pathetic situation in some of the States, like Uttar Pradesh, Gujarat, etc. In this regard, the Government of India

should give more money to promote the education sector. In India, only 2.71 per cent of the GDP is being spent on education. Thousands of students are not getting fellowship, scholarship and other financial support from the Government. So, the Government of India should spend more money in the education sector. We see that in many of the schools, even pucca buildings are not there. Adequate number of teachers is not there. The universities are being run without permanent teachers. So, the intervention of the Union Government is very necessary to protect the rights of the students. The Right to Education Act exists, but only on the paper. The Right to Education Act should be implemented properly and proper education facilities should be provided to all the children by the Government. The Government should try to create more educational institutions in local areas. The district panchayat, the local panchayat and the block panchayat are taking a lot of initiatives, but the issue is that they are not getting proper financial assistance from the Union Government. Earlier, 'Education' was a State subject, but it is in the Concurrent List now. So, the Union Government should provide funds to the States and should make a proper federal policy for promoting the education sector in our nation. The existing situation in the education sector requires more initiatives from the Government.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. V. Sivadasan: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Shri A. A. Rahim (Kerala).

Now, Question Hour.

MR. CHAIRMAN: Now question hour. Question no. 1.

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Participation of top companies in job fairs in Bihar

#*1. DR. BHIM SINGH: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

Original notice of the question received in Hindi.

Contents Page

(a) the number of top companies in the country that have participated, so far, in the job fairs organized in Bihar and the number of youth who have received employment and apprenticeship/training opportunities through such companies; and

(b) the special policy, incentive or coordination mechanism that has been developed to increase the participation of top companies in job fairs organized in Bihar and the action plan to strengthen it in future?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (DR. MANSUKH MANDAVIYA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Job fair is one of the steps towards fulfilment of the Commitment of the Government to accord highest priority to employment generation amongst youth. Regular Job Fairs are being organized under various schemes by the State Governments/ Ministries/ Departments.

Job fairs are primarily intended to facilitate linkage between jobseekers and local employers, so as to address local employment requirements. Such fairs focus on employment opportunities aligned with local labour market demand.

Additionally, The Ministry of Labour and Employment, Government of India, is running the National Career Service (NCS) Portal which is a one-stop solution for providing career related services including job search and matching, information on online and offline job fairs, career counselling, vocational guidance, information on skill development courses, skill/training programmes etc. through a digital platform [www.ncs.gov.in].

Ministry has entered into strategic Memoranda of Understanding (MoUs) with private partners such as job portals, placement organizations and reputed institutions in order to enhance the visibility and access to the job opportunities from the reputed and top companies. These MoUs have been instrumental in expanding outreach and providing greater access to diverse employment opportunities for youth across the country including Bihar.

Further, under the NCS project, in collaboration with States/Institutions, Government has approved 407 Model Career Centres (MCCs) across the country.

Contents Page

These centres connect local youth and other job-seekers with job opportunities through Job fairs, NCS portal as well as career counselling and training.

Till 20.01.2026, a total of 3280 job fairs have been organized in Bihar under the National Career Service (NCS) project, in which 8,492 employers have participated. Notifying final hiring figures is not a mandatory requirement on NCS portal.

Government is also implementing Skill India Mission (SIM) to deliver skill, re-skill and up-skill training through an extensive network of skill development centres/ schools/ colleges /institutes etc. under various schemes, viz. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Jan Shikshan Sansthan (JSS), National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) and Craftsmen Training Scheme (CTS) through Industrial Training Institutes (ITIs) in the country. The SIM aims at enabling youth of India (including Bihar) to get future ready, equipped with industry relevant skills.

Under Skill India Mission (SIM), PMKVY scheme, introduced in 2015—16, has trained and certified over 1.64 crore candidates (up to 31 October 2025). Under NAPS, 49.12 lakh apprentices have been engaged from 2016—17 to FY 2025—26 (up to 31 October 2025).

डा. भीम सिंह: सभापति महोदय, हम भारत सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि रोजगार सृजन के लिए इन्होंने काफी काम किया है और कर भी रहे हैं, जैसे 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना', जन-शिक्षण संस्थान, आईआईटी, 'शिक्षुता संवर्धन योजना' आदि चलाई जा रही हैं। इन सारे उपायों से इन्होंने बताया है कि वर्ष 2016-17 से लेकर 31 अक्टूबर, 2025-26, तक 49 लाख, 12 हज़ार लोगों को रोजगार दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। सभापति महोदय, हम सरकार से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि ये जो 49 लाख, 12 हज़ार नियुक्त लोग हैं, इनमें बिहार के लोगों की, बिहार के नौजवानों की कितनी संख्या है?

डा. मनसुख मांडविया: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार में रोजगार निर्माण हेतु अपना प्रश्न पूछा है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ें और रोजगार मिले - इसके लिए एक व्यवस्था खड़ी की जाए। हमने इसके लिए 'नेशनल करियर सर्विस पोर्टल', एम्प्लॉएमेंट के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया है। इस पर एम्प्लॉयर और जॉब सीकर, दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है और इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर कहाँ पर रोजगार की एप्यॉर्च्युनिटी ऑफर हुई है, वे उसको स्वयं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि 'नेशनल करियर सर्विस पोर्टल' पर, बिहार से कुल मिलाकर 53 लाख लोगों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। उनमें से 39.80 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उन्हें जॉब एप्यॉर्च्युनिटीज मिले, यह भी सुनिश्चित किया गया है।

डा. भीम सिंहः सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बिहार में 3,280 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया और इनमें 8,492 नियोक्ताओं ने भाग लिया। इन्होंने संख्या भी बताई है कि बिहार में इतने लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिला है। महोदय, मुझे यह संख्या कम दिखाई पड़ती है। हम यह जानना चाहते हैं कि जिन 8,492 नियोक्ताओं ने भाग लिया, उनमें से कितनी नेशनल स्तर की नियोक्ता कंपनियों ने भाग लिया और कितनी स्थानीय नियोक्ता कंपनियों ने भाग लिया?

डा. मनसुख मांडवियाः सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उस पर थोड़ा-सा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैंने जो पहली रिप्लाई दी है, वह 'नेशनल करियर सर्विस पोर्टल' के द्वारा नियोक्ता और जिन्हें जॉब्स मिली हैं, उनकी फिगर दी है।

महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जॉब फेयर के बारे में कहा है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अपने स्टेट में जॉब फेयर्स लगाए जाते हैं। यह आयोजन दोनों ओर से होता है। इसको स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। यह सही बात है कि 3,280 जॉब फेयर्स हुए हैं और उन्हें यह संख्या कम भी लगी है, क्योंकि इनमें 8,492 एम्प्लॉयर्स उपस्थित रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये कुल मिलाकर 8,492 हैं और इस 8,492 की संख्या में एक कंपनी दो बार भी भाग लेती है, तीन बार भी भाग लेती है और चार बार भी भाग लेती है। जब एक बार जॉब फेयर होता है, तो 10-15 से लेकर 20-25 कंपनियाँ आ जाती हैं। हम इन कंपनियों को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस क्लस्टर में जॉब फेयर करते हैं, वहाँ पर कौन-सी स्किल मैनपॉवर है और कंपनियों को कैसी स्किल मैनपॉवर की रिक्वायरमेंट है, हम पहले उसको मैप करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं और फिर जॉब फेयर लगाते हैं। इस जॉब फेयर में कुल मिलाकर 4 लाख, 50 हज़ार जॉब सीकर युवाओं ने भाग लिया। जब बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ, तो उनमें से नब्बे हजार युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया और फाइनली 43 हजार लोगों को जॉब दी गई है। माननीय सदस्य ने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के बारे में भी जानना चाहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार कई कम्पनियाँ देश में भी काम करती हैं, स्टेट में भी काम करती हैं और दो-तीन स्टेट्स में भी काम करती हैं। कम्पनी को जिस टाइप की स्किल्ड मैनपावर की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कम्पनियाँ आती हैं। इसमें सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल की कम्पनियों ने भी भाग लिया है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary. Shri Randeep Singh Surjewala.

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, my specific question to the hon. Minister is this. You mentioned about National Career Service Portal. I am surprised that you don't even publish the data as to how many people are employed. The biggest employer continues to be the Government of India and its PSUs. Many times in this House, the Government has answered on the question of number of vacancies in the Government of India and its PSUs. Will the Minister tell as to how many vacancies currently exist in the Government of India, which is the principal employer, and its

Contents Page

PSUs? By when do you propose to fill the number of vacancies? The number of vacant positions, according to me, in the armed forces, the paramilitary forces and the police forces, is over 3,00,000 and the total number of vacant positions is above 30,00,000. Will the Minister inform the House?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

डा. मनसुख मांडविया: माननीय चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में बात की है। बदलते समय में अलग-अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जरूरी है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का समय है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार मैनपावर हायर कर सकें और जिसको जॉब चाहिए, वह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही जगह जाकर अपनी अपॉर्च्युनिटी को आइडेंटिफाई कर सके और इसके लिए हमने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के रूप में एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक दशक में यह प्लेटफॉर्म आज रोबस्ट हो चुका है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर आज 55 लाख कम्पनियाँ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट देने वाले स्टेट गवर्नमेंट के सभी प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट हो चुके हैं। इसके साथ 33 प्राइवेट पोर्टल भी जुड़े हुए हैं। आज कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दस वर्षों में इस पर छः करोड़ से अधिक ऐसे युवा, जिन्हें जॉब चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन लोगों को जॉब चाहिए, ऐसे लोग इस प्लेटफॉर्म से जॉब पा सकते हैं। वे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शॉर्टलिस्ट भी होते हैं और उन्हें जॉब की अपॉर्च्युनिटी भी उपलब्ध हो जाती है।

माननीय चेयरमैन सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को ई-माइग्रेट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया है। इसे मेरा युवा भारत पोर्टल और स्किल डेवलपमेंट के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, ताकि कहीं भी जॉब की अपॉर्च्युनिटी हो, तो एक ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से उसकी जानकारी मिल सके। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई नोएडा की कम्पनी यह चाहती है कि उसे नोएडा के आसपास सिविल इंजीनियर चाहिए, तो वह नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर जाकर देख सकती है कि नोएडा के आसपास के किसी सिविल इंजीनियर ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। फिर उस व्यक्ति को स्पेसिफिक्ली इंटरव्यू के लिए बुलाकर जॉब दी जा सकती है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... मैं जवाब दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप धीरज रखिए। आपने धीरज नहीं रखा, इसका ही आपको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। ...(**व्यवधान**)... आप थोड़ा धीरज रखिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है...

MR. CHAIRMAN: You asked about all the Departments, not a single Department. There are so many Departments. Let him answer.

डा. मनसुख मांडविया: मैं उसका भी जवाब दूँगा। हमारी सरकार ने फॉर्मल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध कराए हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं हर एक-दो-तीन महीने में रोजगार मेले आयोजित कराते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अब तक कुल मिलाकर 18 रोजगार मेले

Contents Page

आयोजित किए गए हैं। हर दो महीने में 75 हजार, लाख-डेढ़ लाख, 70 हजार, इस तरह से हमने 18 जॉब फेयर्स में 11,39,000 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब प्रदान की हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया है, इसके बारे में जब इस क्वेश्चन का आगे रिप्लाई आएगा, तब मैं बताऊँगा। प्रश्न का जवाब लंबा न हो जाए, इसलिए इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। मैं फिगर और कम्पेरिज़न के साथ इसका बहुत परफेक्ट जवाब दूंगा।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shri Upendra Kushwaha.

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, जवाब में कहा गया है कि एनसीएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टेट और डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के कोलैबोरेशन से देश भर में कुल 407 Model Career Centres बनाए गए हैं। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इन 407 में से बिहार में कितने हैं?

डा. मनसुख मांडविया: महोदय, National Career Service Portal के अलावा देश में 407 Model Career Centres चल रहे हैं। ये हम State Government के साथ मिलकर करते हैं। State Government उनको चलाती है और हम उनमें मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे 39 सेंटर्स बिहार में भी चल रहे हैं और वे भी जॉब फेयर द्वारा युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए एक सेतु के रूप में काम करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Dr. Sikander Kumar.

डा. सिकंदर कुमार: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष हमारे देश भारत में कितने रोजगार मेलों का आयोजन हुआ? इन रोजगार मेलों के माध्यम से कितने युवाओं का प्रशिक्षण हुआ और इस प्रशिक्षण के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार मिला?

डा. मनसुख मांडविया: चेयरमैन सर, पिछले एक साल में देश में कुल 18,000 जॉब फेयर्स का आयोजन किया गया और उन 18,000 जॉब फेयर्स में कुल मिलाकर 2.22 करोड़ लोगों को जॉब दी गई।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No.2. The questioner is not present. Any supplementaries?

**2. [The questioner was absent.]*

Employment elasticity of GDP Growth

*2. SHRI G. C. CHANDRASHEKHAR: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government has analysed the declining employment elasticity of GDP growth, in view of PLFS data indicating stagnation in regular salaried employment since 2019, including State-wise trends for Karnataka; and

Contents Page

(b) whether any sector-wise employment benchmarks or job-linked growth targets have been adopted to address this divergence?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (DR. MANSUKH MANDAVIYA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The data on Employment and Unemployment is collected through Periodic Labour Force Survey (PLFS), which is conducted, by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) since 2017-18.

As per the latest available Annual PLFS reports, the estimated Worker Population Ratio (WPR) indicating employment (including regular wage/salary workers) on usual status for persons of age 15 years and above in the country has increased from 46.8% in 2017-18 to 58.2% in 2023-24 in the country and from 49.1% to 55.2% in the State of Karnataka during the same period.

Further, the percentage distribution of regular wage/salary workers on usual status have increased from 20.9% in 2022-23 to 21.7% in 2023-24 in the country.

Further, more than 8.23 crore net subscribers have joined Employees' Provident Fund Organization (EPFO) between September 2017 and July 2025 indicating increase in employment and formalization of the job market. Also, more than 1.29 crore net subscribers have joined EPFO during the year 2024-25.

Employment generation coupled with improving employability is a priority of Government and is a multi-stakeholder initiative. The various Ministries/ Departments of Government of India like Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Textile etc. are implementing different employment generation schemes/ programmes. The details of these schemes/ programmes may be seen at https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes.

Government is also implementing Skill India Mission (SIM) to deliver skill, re-skill and up-skill training through an extensive network of skill development centres/ schools/ colleges /institutes etc. under various schemes, viz. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Jan ShikshanSansthan (JSS), National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) and Craftsmen Training Scheme (CTS) through Industrial

Contents Page

Training Institutes (ITIs) in the country. The SIM aims at enabling youth of India (including Karnataka) to get future ready, equipped with industry relevant skills.

Government is implementing Employment Linked Incentive (ELI) Scheme named as the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana to support employment generation, enhance employability and social security across all sectors, with special focus on the manufacturing sector. The scheme with an outlay of Rs 99,446 Crore aims to incentivize the creation of more than 3.5 Crore jobs in the country, over a period of 2 years.

Further, Ministry of Labour and Employment, Government of India, is running the National Career Service (NCS) Portal which is a one-stop solution for providing career related services including jobs from private and government sectors, information on online and offline job fairs, job search and matching, career counselling, vocational guidance, information on skill development courses, skill/training programmes etc. through a digital platform [www.ncs.gov.in].

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sulata Deo.

श्रीमती सुलता देवः चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मान्यवर मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ठीक तरह से सर्वे और असेसमेंट कभी हुआ है? पूरे भारत वर्ष में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किस तरह से काम कर रहा है? मैं खास तौर पर ओडिशा के बारे में जानना चाहती हूं।

इसके अलावा, मैं मान्यवर मंत्री से यह भी जानना चाहती हूं और खासकर ओडिशा के संबंध में जानना चाहती हूं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सर्वे में पाँच साल में कितनी एप्लिकेशन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए डाली गई हैं और कितने युवाओं को नौकरी मिली है?

डा. मनसुख मांडवियाः चेयरमैन सर, एम्प्लॉयमेंट सर्वे पहले एनएसएसओ के द्वारा होता था। अभी हम पीएलएफएस के द्वारा उसको मैप करते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपको फिगर के साथ बताऊंगा कि लास्ट ईयर, यानी 2024 में रिज़र्व बैंक का क्लेम डेटा पब्लिश हुआ। क्लेम डेटा हमारे समय में आता है, ऐसा तो नहीं है। रिज़र्व बैंक तो 1935 में बना था, और 1980 से डेटा क्रिएट करना चालू हुआ। वह डेटा सभी सरकारों में पब्लिश हुआ है। 2003-2004 में कुल मिलाकर 44.23 करोड़ एम्प्लॉयमेंट था और 2014-15 एक दशक में वह बढ़कर 47.15 करोड़ हुआ है। यह मेरा डेटा नहीं है, यह रिज़र्व बैंक का डेटा है और क्लेम डेटा है, जिसे पहले से पब्लिश करते हैं। यह बताता है कि 2004 से 2014 तक एक दशक में 2.9 करोड़ employment generate हुआ। इसी रिजर्व बैंक का यह claim data है, जो अभी 2024 में publish हुआ, उसमें 64.33 करोड़ employment हुआ, यानी भारत सरकार ने एक दशक में 17 करोड़ लोगों को जॉब दिया। आपका

जो क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने 11 लाख जॉब दी, प्रधान मंत्री ने Job Fair के जरिए दिया, Claim data बताता है कि 17 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ। ये नौकरियां सारे देश में हैं। ओडिशा में भी इससे कई लोगों को नौकरी मिली होगी। Udyam Portal से आप पता लगा सकते हैं कि देश में MSME का growth हुआ है। जब एक MSME पैदा होती है, एक छोटा उद्योग पैदा होता है, तो expert's data ऐसा कहता है कि 4.3 परसेंट लोगों को employment मिलता है। हमारी सरकार ने employment generation के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठिए, बैठिए। Let him answer. *...(Interruptions)...* आप बैठिए, प्लीज़।

डा. मनसुख मांडवियाः हमारी सरकार ने employment generation के लिए समय के साथ कदम उठाया है। आपने देखा होगा कि Modi 3.0 Government के पहले ही बजट में सरकार ने 4.1 करोड़ jobs के निर्माण के लिए प्रधान मंत्री रोजगार पैकेज के द्वारा घोषणा की, जिसमें skill development लिया गया, जिसमें employment incentive की स्कीम लाई गई। हमने ऐसे कई कार्यक्रम continue चलाए। Start-Up, Stand-Up जैसी स्कीम से self-employments भी बढ़े, jobs भी बढ़े। उसका नतीजा यह निकला कि उससे employment बढ़ा। जब employment बढ़ता है, तो unemployment कम होता है। आज भारत में unemployment rate 3.2 परसेंट है, जो developed country के बराबर है और हमारा unemployment rate कई developed countries से भी कम है। यह हमारे लिए अच्छी बात है।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Kartikeya Sharma.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Sir, talking of job growth, is there any estimate on the number of job opportunities created by the gig economy? जो gig workers होते हैं, उनके द्वारा उनको जो मौके मिल रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी ने या उनके मंत्रालय ने उनका संज्ञान लिया है और अगर लिया है, तो वह क्या है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

डा. मनसुख मांडवियाः महोदय, 'gig worker' एक उभरती हुई नई employment गतिविधि है। पहले के समय में 'gig worker' का concept नहीं था। अभी इसका platform आ गया है और digital platforms के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसी कई कंपनियाँ आज इन platforms पर employment दे रही हैं। Day-by-day, आज एक अनुमान है, देश में एक नीति आयोग का सर्वे था, लेकिन वह दो साल पुराना था, अभी 1.5 से 2 करोड़ gig workers होंगे। ये 1.5 से 2 करोड़ gig workers एक platform पर काम करते हैं। उनको social security सुनिश्चित हो, इसके लिए हमने four Codes लागू किए हैं। इन Codes में भी हमने दुनिया में पहली बार gig workers की definition तय की, उनके लिए हमने कानूनी प्रावधान किए, ताकि उनको social security मिले, उनको health security मिले। उनकी आर्थिक गतिविधि smooth चले, उसके लिए भी हमारा देश कानूनी प्रावधान करने वाला पहला देश बना है। यह हमारे लिए महत्व की बात है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri A. A Rahim.

SHRI A. A. RAHIM: Sir, according to the PLFS and according to the last Economic Survey Report, one trend is very clear, that is, permanent employment has been reducing in our country. So, in this light, I would like to ask an important question. The increasing trend of contractualization of labour in the public sector is leading to an invisible and systematic elimination of constitutionally guaranteed opportunities for marginalized sections, which means reservations. In view of this, is the Government ready to undertake a comprehensive study on the impact of contractualization on employment elasticity, particularly its adverse effect on reservation policies? And has data been collected or will it be collected on the number of candidates belonging to SC, ST, OBC categories who have lost access to regular employment opportunities due to the shift towards contractual labour?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

डा. मनसुख मांडविया: चेयरमैन सर, देश में सभी लोगों को रोजगार की opportunity मिले और वे अपने परिवार को अच्छी तरह से चला पाएं, इसे सुनिश्चित करने को हमारी सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। इसीलिए देश में Start-up India, Stand-up India, मुद्रा योजना जैसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से देश में self-employment भी बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो self-employment 2017-18 में 52 परसेंट था, वह self-employment 2023-24 में 58 परसेंट हुआ। जो casual labour हैं, जो कम सैलरी में काम करने वाले labour हैं, उनके हितों को देखते हुए, उनको protection मिले, उसके लिए हमने labour code में भी सुनिश्चित किया है। किसी व्यक्ति को किसी जगह पर जॉब मिले और उसके लिए नौकरीदाता भी responsible behaviour करे, वह उसके अधिकारों के लिए कभी deny नहीं कर सके, इसलिए हमने labour code में भी यह सुनिश्चित किया है कि किसी को भी अगर जॉब मिलती है, तो उसको appointment letter देना compulsory कर दिया है। कई बार ऐसा होता था कि कहीं कोई incident हुआ, कोई घटना हुई, तो उसमें कह दिया जाता था कि यह तो हमारे यहां registered है ही नहीं, तो इससे उसको social security का लाभ नहीं मिलता था। इससे उसको social security का लाभ मिलेगा। जो SCs/STs के लोग हैं, उनके लिए भी हमने job fair में और job के लिए Model Career Centres में व्यवस्था की है। यह हमने specially SCs/STs के लिए भी चालू किया है, ताकि हमारे SCs/STs युवाओं की skilling की जाए, उनको job fair में बुलाया जाए और उनको job की opportunity भी मिले। वैसे ही, जो non-permanent jobs पर काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी हमें यही फिगर बताता है कि employment कैसे बढ़ा है। जब employment बढ़ा, तो self-employment भी बढ़ा, jobs भी बढ़ीं और उससे उसकी life भी ऊपर आयी, उसकी salary भी बढ़ी। जो casual labours, non-permanent jobs पर थे, वे 2022-23 में 24.9 परसेंट से घटकर 19.8 परसेंट हुए, यानी कि low salary में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हुई, यानी कि देश में सामान्य काम करने वाले लोगों को भी ज्यादा पैसा मिलने लगा है। देश की इकोनॉमी जो आगे बढ़ रही है, यह

Contents Page

उसका भी एक प्रतीक है। कुल मिलाकर देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सचमुच में 1.4 billion population वाला हमारा जो देश है, वहां 3.5 परसेंट से कम unemployment rate हो, देश के युवाओं के हाथ में जॉब हो, काम हो, उसके लिए opportunity हो, यह मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 3.

Upgradation of post offices

*3. SHRI RATANJIT PRATAP NARAIN SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the plan for upgrading Post Offices in the districts to serve as Common Service Centres (CSCs) and financial inclusion points;

(b) the number of rural households in Kushinagar that have opened an account under the India Post Payments Bank (IPPB) during the last six months;

(c) the steps taken to ensure timely delivery of mail and financial assistance (e.g., pension) through the postal network;

(d) the progress made in providing digital banking services through the postal network in Gram Panchayats; and

(e) the measures to ensure the security of financial transactions conducted through rural post offices?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In pursuance of the recommendations of the 57th Standing Committee on Communications and Information Technology (2024—25), the arrangement for delivery of services through the Common Service Centre Special Purpose Vehicle (CSC-SPV) was terminated with effect from 28.05.2025. However, a wide range of citizen-centric and financial services are being provided through Post Offices across the country, including passport services, Aadhaar enrolment and updation services, Know Your Customer (KYC) verification services, issuance of Digital Life Certificates (JeevanPramaan), and various third-party services. Further, the Post Office Savings Bank (POSB) offers savings accounts and other deposit accounts, while insurance

Contents Page

coverage is provided under Postal Life Insurance (PLI) and Rural Postal Life Insurance (RPLI).

(b) In the last six months a total of 22,995 accounts have been opened by rural households through the India Post Payments Bank (IPPB) in Kushinagar.

(c) For timely delivery of mail, the Department has strengthened its last mile network through rationalization of delivery centres, mechanization of delivery and introduction of technology enabled services such as One Time Password (OTP) based delivery and real time tracking of articles. Mail Monitoring Units have been established in Circles to ensure quality delivery through Key Performance Indicators (KPIs). To provide doorstep banking and other services such as direct benefit transfer (DBT) and digital life certificates, smart phones and biometric devices have been provided to postmen and Gramin Dak Sevaks (GDS).

(d) and (e) In order to enhance the security of financial transactions in rural post offices, technology has been leveraged across the network of post offices and through the India Post Payments Bank (IPPB). POSB transactions are authenticated using the customer's Aadhaar-linked biometrics, supplemented by SMS (short message service) alerts to keep customers informed about their banking transactions. Postmen and GDS are equipped with Core Banking Solution (CBS) integrated smart phones that act like micro-ATMs by enabling online and cash transactions, with biometric devices. Rural Postal Life Insurance is provided through a technology-enabled Core Insurance System that ensures secure premia deposit through the online portal and through the IPPB application, in addition to deposits across counters.

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shri Ratanjit Pratap Narain Singh.

श्री रतनजीत प्रताप नारायन सिंहः सभापति जी, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसी वित्तीय वर्ष में कुशीनगर जनपद में पासपोर्ट केंद्र ऑफिस खोला, जिससे वहां बहुत से लोगों को फायदा हुआ। इसके साथ ही, कुशीनगर में एक नया आधुनिक जिला पोस्ट ऑफिस का काम भी शुरू हो गया है, जो अगस्त, 2026 तक बनना तय है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि डाक निर्यात केंद्रों की तमाम योजनाएं चली हैं, जिनसे एक्सपोर्ट करने में बहुत फायदा होगा। कुशीनगर, बुद्ध भगवान की पावन धरती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह साफ तौर पर पूछना चाहूंगा कि क्या कुशीनगर को भी डाक निर्यात केंद्रों से जोड़ने का काम किया जाएगा?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

Contents Page

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को और संसद को भी सूचित करना चाहता हूं कि हमारे देश में India Post, भारतीय डाक सेवा के द्वारा संचालित वितरण प्रणाली, पूरे विश्व में सबसे उपयुक्त वितरण प्रणाली है। आज हम भारत में India Post के द्वारा केवल डाक और पार्सल ही नहीं, बल्कि सामान्य मानव के लिए हर संभव सेवा, सरकार की और निजी क्षेत्र की, पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

डाक विभाग ने इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मजबूत ढाँचा माननीय सांसद के क्षेत्र में, कुशीनगर जिले में भी खड़ा किया है। पडरौना में एक हेड ऑफिस है, जो इनका गृह क्षेत्र है। हमारे करीब 20 Sub Post Office हैं, 203 Branch Post Office हैं। इन्होंने सही कहा कि माननीय राज्य मंत्री के द्वारा वहाँ एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हुई और उस पासपोर्ट केंद्र से पिछले एक साल में ही हमारे देश के 5,930 नागरिकों के लिए पासपोर्ट बन चुके हैं।

सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि whole-of-Government approach हो, उसके लिए हमारी सदैव कोशिश है। देश के निर्यात में जहाँ बड़ी-बड़ी कंपनियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, वहीं एक छोटे एक्सपोर्टर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका रहती है खास करके एमएसएमई सेक्टर में। इस देश का 40 प्रतिशत निर्यात एमएसएमई सेक्टर से आता है और हम लोगों ने उसी विचारधारा के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल कर whole-of-Government approach के आधार पर पूरे देश में 1,013 डाक निर्यात केंद्र स्थापित किए हैं। उन 1,013 डाक निर्यात केंद्र से करीब-करीब 300 करोड़ रुपए के करीब-करीब पौने तेरह लाख शिपमेंट्स आज के दिवस तक हो चुके हैं और 26,245 एक्सपोर्टर्स इस डाक निर्यात केंद्र के प्रणाली के साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद को यह सुनते हुए भी बड़ी खुशी होगी कि कुशीनगर में पडरौना हेड ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र सितम्बर, 2023 से संचालित है और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही इनके जिले से भी 38 आर्टिकल्स का निर्यात विश्व को हुआ है। इससे इनको भी बहुत खुशी होगी।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Ratanjit Pratap Narain Singh.

श्री रतनजीत प्रताप नारायन सिंह: माननीय सभापति महोदय, चूँकि मैं पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जो बिल्कुल ही रूरल एरिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने गाँवों के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ शुरू की हैं, जो डिजिटली हैं और बाकी हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि रूरल क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं, उनमें कौन-कौन सी स्कीम्स हैं एवं उनको आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने क्या काम किया है एवं कौन-से नियम और कानून बनाए हैं?

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर जी।

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: सर, डाक विभाग भारत की सेवा में पिछले कई दशकों से लगा हुआ है। हमारी जो वितरण प्रणाली है, उसके अंतर्गत देश के करीब 6.5 लाख गाँवों में डाक केंद्र के आधार पर हमारे 1,65,000 Points of Presence (PoPs) हैं। इनमें से केवल 9.5 प्रतिशत डाक केन्द्र शहरी क्षेत्र में हैं और 90.5 प्रतिशत डाक केन्द्र ग्रामीण अंचल में हैं। भारत सरकार की यही

Contents Page

सोच है और हमारे विभाग में पहली बार यह प्रयास रहा है कि हम लोग इस विभाग को एक सुचारू रूप दे पाएँ। पहली बार हम लोगों ने डाक विभाग के अंतर्गत अलग-अलग बिजनेस लाइंस के लिए 6 वर्टिकल्स बनाई हैं - mails हैं, parcels हैं, international business है, citizen-centric services हैं, PLI और RPLI है और इसी के साथ POSB (Post Office Savings Bank) भी है। सर, मैं आपके माध्यम से सांसदों को और देश को भी सूचित करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में 'सुकन्या समृद्धि योजना' के आधार पर करीब-करीब पौने चार करोड़ खाते खुले हुए हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के आधार पर करीब 38 करोड़ खाते खुले हुए हैं, जहाँ 22 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ है, जिसमें पिछले दस वर्षों में 6 लाख करोड़ से साढ़े तीन गुना वृद्धि हुई है। 2018 में स्वतः सौ प्रतिशत भारत सरकार की इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और आज तक इसके अंतर्गत 13 करोड़ खाते हैं तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से करीब-करीब 1,37,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत वितरण हुआ है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हमारे करीब 1 करोड़, 25 लाख खाते हैं और इसके आधार पर हमारा 2 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। हमारे 452 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, जिनके आधार पर 2 करोड़ से भी ज्यादा पासपोर्ट्स पूरे देश में डाकखाने के द्वारा बने हुए हैं। आधार एनरोलमेंट और अपडेशन में 14 करोड़ नागरिकों के आधार अपडेशन हमारे 13,352 पोस्टल आधार केन्द्रों से हुए हैं। मैं डाक निर्यात केन्द्रों की सूची ऑलरेडी दे चुका हूँ।

सभापति जी, वर्तमान में हमारा डाक विभाग भारत सरकार का cost center है, मतलब हम लोगों को वित्तीय सहायता की जरूरत है। हमारी कोशिश है कि विश्व का सबसे सुदृढ़ डाक विभाग प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बना पाएँ। हम लोग नए- नए business verticals देख रहे हैं। जैसे, mutual funds customers के लिए KYC verification के लिए अभी Association of Mutual Funds in India (AMFI) के साथ हम लोगों का एक MoU हुआ है। हम लोग Prime Minister's Employment Generation Program के तहत units की physical verification कर रहे हैं। इसी के साथ, हम लोग micro, small और medium industries के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हम लोग BSNL का SIM distribution program कर रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हर वित्तीय वर्ष हम लोग वृद्धि बताएँ।

सर, मैं आपके सामने पिछले एक साल के आंकड़े रखना चाहता हूँ। वर्ष 2023-24 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 12,920 करोड़ था। वर्ष 2024-25 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 13,363 करोड़ रहा था। मतलब, इसमें केवल 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब राज्य मंत्री जी, हम, सचिव और सभी लोगों ने मिलकर अपने सारे CPMGs के द्वारा target setting करवाई है, ताकि हम लोग डाक विभाग को एक नई गति दे पाएँ। सर, मैं पिछले 9 महीनों का रिजल्ट आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। Citizens-centric services में पिछले वर्ष के 328 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 650 करोड़, यानी 95% की वृद्धि हुई है। इसी तरह, हमारे पार्सल में 12% की वृद्धि हुई है तथा PLI और RPLI में 11% की वृद्धि हुई है। मतलब, पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में जहाँ केवल 3% revenue increase हुआ था, इस वर्ष के 9 महीने की अवधि में हमने 10% revenue increase करके दिखा दिया है। यह संभावना है कि जब तक ये 1 साल, 3 महीने निकलेंगे, तब तक अप्रैल के माह में हम लोग आपके समक्ष और इस सदन के पटल पर भी बहुत अच्छे आंकड़े रख पाएँगे। इस विश्वास के

Contents Page

साथ, हमारे साढ़े चार लाख डाककर्मी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत माता की सेवा के लिए रात और दिन तथा दिन और रात एक कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shrimati Rajathi.

SHRIMATI RAJATHI: Respected Chairman, Sir, there were many technical features in implementation of the second phase of Advanced Postal Technology in August. The grids resulted in delays in every step and some booking counters were closed because of the inability to serve the customers. Customers and business communities across different parts in India had raised concerns about the lack of preparedness with which the Ministry rolled out the second phase. Has the ministry addressed all the glitches and what is the status of implementation of Advanced Postal Technology second phase? Had the Ministry assessed the possible impact of these changes, including disruption in the supply chain and logistics sector, before implementing these measures?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधियाः सर, सांसद महोदया के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। जब परिवर्तन आता है और नए सिस्टम को हम लोग adopt करते हैं, तो वह एक transition phase होता है। जब हम हाथ से लिखे हुए लेखा सिस्टम या एक rudimentary, मतलब एक साधारण electronic system से एक सुदृढ़ electronic system में आते हैं, तो उस transition phase में जरूर कठिनाइयाँ होती हैं। IT 2.0 के अंतर्गत, हम लोगों ने जो Advanced Postal Technology (APT) नामक एक नया software install किया है, इसे हमने MeghRaj 2.0 cloud open API architecture के आधार पर क्रियान्वयन किया है। सर, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि जैसे संचार विभाग में हम लोगों ने स्वतः अपना एक भारतीय digital foggy stack का क्रियान्वयन किया है, वैसे ही यह APT solution भी संपूर्ण रूप से 100 प्रतिशत स्वदेशी है। वैसे ही यह एपीटी (APT) सॉल्यूशन भी पूर्ण रूप से, शत-प्रतिशत स्वदेशी है। हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस – पोस्टल टेक्नोलॉजी, जो भारतीय डाक विभाग का ही सॉफ्टवेयर विंग है, उसने इस एपीटी सॉल्यूशन को क्रियान्वित किया है। शुरुआत में लगभग पंद्रह–बीस दिनों तक कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आईं, क्योंकि जब किसी बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम का ट्रांजिशन होता है, तो कुछ तकनीकी ग्लिचेज़ सामने आते हैं। उसके लिए हम लोगों को पैचेज़ बनाने पड़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर पैचेज़ भी तैयार किए गए, और आज स्थिति यह है कि देश के एक लाख पैंसठ हजार पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। हमारे सभी 23 पोस्टल सर्कल अब एक ही सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं। इससे भारतीय डाक को वह गति और क्षमता मिलेगी, जिसकी बात माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में इंडिया पोस्ट को वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनाने के संदर्भ में कही थी। जैसा कि मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी उल्लेख किया था, हमने पहली बार डाक विभाग में छह वर्टिकल्स का गठन किया है। साथ ही, यह जानते हुए आपको प्रसन्नता होगी कि

Contents Page

भारतीय डाक विभाग ने पहली बार एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर किया है, क्योंकि आज पोस्टल डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी-ड्रिवन हो चुका है। इसके साथ-साथ हमने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को भी हायर किया है और इस सीटीओ के द्वारा इन 23 सर्कल के साथ देश के एक लाख पैंसठ हजार पोस्ट ऑफिसों में होने वाला प्रत्येक ट्रांजेक्शन उसी सॉफ्टवेयर में लिखित रूप से रिपॉजिटरी में acknowledge किया जाएगा। इससे हमें यह जानकारी मिलेगी कि कौन-सा नागरिक कितने और किस प्रकार के ट्रांजेक्शन कर रहा है तथा किस वर्टिकल में सेवाएँ ले रहा है, ताकि पोस्टल डिपार्टमेंट क्रॉस-सेलिंग भी कर पाए कि जो व्यक्ति citizen centric services ले रहा है, उसको हम POSB offer करें, PLI offer करें। यह सब एपीटी सॉल्यूशन के सफल क्रियान्वयन से संभव हो पाया है।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade ji.

डा. अजित माधवराव गोपछड़े: माननीय सभापति महोदय, नांदेड़ गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन नगरी है। मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने नांदेड़ की जनता के लिए एक उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे वाले डाकघर तथा मेरी तहसील बिलोली के लिए भी एक डाकघर के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस डाकघर को सीएससी, डिजिटल बैंकिंग, आईपीपीबी, वित्तीय सहायता एवं वित्तीय लेन-देन का एक समेकित केंद्र बनाने का कोई विचार सरकार के स्तर पर है? साथ ही, वहाँ बीएसएनएल की भूमि उपलब्ध है, जबकि वर्तमान में प्रस्तावित डाकघर का स्थान अपेक्षाकृत छोटा है। क्या उस बीएसएनएल भूमि को हस्तांतरित करने पर सरकार विचार कर रही है? इसके अतिरिक्त, नागपुर एवं पुणे की धरती पर नांदेड़ को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता है। अतः मैं यह निवेदन करता हूँ कि यदि डाक विभाग के माध्यम से नांदेड़ को एक उच्च स्तरीय डाकघर और पासपोर्ट सेवाएँ प्रदान की जाएँ, तो यह गुरु गोबिंद सिंह जी की नगरी को एक होली सिटी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठित बनाएगा। क्या इस दिशा नांदेड़ को उच्च स्तरीय डाकघर और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देने के संबंध में सरकार के स्तर पर कोई विचार है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री ज्योतिरादित्य मा .सिंधिया: महोदय, माननीय सांसद महोदय ने एक ही प्रश्न में करीब बारह प्रश्न पूछे हैं, फिर भी मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले, इन्होंने इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक)IPPB) का विषय उठाया। हमारी इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक की गुणवत्ता, क्षमता और पहुँच आज अत्यंत व्यापक हो चुकी है। यह एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो देश के एक लाख पैंसठ हजार पोस्ट ऑफिसेज़ पर ride करता है। माननीय सांसद महोदय को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज IPPB की reach देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों की तुलना में ढाई गुना अधिक है। हम उन नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिन तक कोई और बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुँच पाती। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की संपूर्ण inclusion की सोच, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की विचारधारा का ही परिणाम है कि IPPB ने अब तक करीब तेरह करोड़ ग्राहक बनाए हैं। हमारे total customer balances लगभग पच्चीस हजार करोड़ हैं और total financial

Contents Page

transaction उन्नीस लाख करोड़ केवल इस स्मॉल सेक्टर पेमेंट्स बैंक के माध्यम से संभव हो पाए हैं, तो नांदेड़ के लिए IPPB का banking system पूर्ण रूप से उपलब्ध है और भविष्य में भी पूरी क्षमता के साथ उपलब्ध होगा।

सर, सांसद महोदय ने पासपोर्ट सेवा केन्द्र की बात, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से यह नियम बनाया गया है कि हर Lok Sabha Constituency में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र हम लोग पहली श्रेणी में स्थापित करेंगे। आज भी देश में करीब 28 Lok Sabha Constituencies बाकी हैं, जहां हमें POPSK स्थापित करने हैं। उसके बाद जब हम सेकेंड राउंड में आएंगे, उस समय हम इस पर जरूर विचार करेंगे। डाक निर्यात केन्द्र की चर्चा की गई है। जहां निर्यात की क्षमता है, वहां हम जरूर इसका विस्तारीकरण कर रहे हैं। यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri Sanjay Yadav.

श्री संजय यादवः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने IPPB के बारे में कहा कि यह उन लोगों को सर्विस देता है, जहां कोई नहीं दे पाता है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुल 8,259 डाक घरों में से पिछले वर्ष तक लगभग 1,100 डाक घरों में IPPB की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्तमान में बिहार में ऐसे कुल कितने डाक घर हैं, जहां IPPB की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर नहीं है, तो वहां यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके अलावा बिहार में पोस्ट ऑफिसिज़ में कुल कितने नए पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू किए गए हैं और डाक निदेशालय द्वारा बिहार में 45 डाक घरों को भी बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अगर ऐसा था, तो यह क्यों किया गया है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधियाः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने IPPB के नेटवर्क की बात की है। हम लोगों की विचारधारा यह है कि आज देश के अंदर हमारे छह लाख गांवों में से करीब 5,92,000 गांवों में बैंक्स या IPPB ब्रांचेज़ से कवरेज है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग इसमें डुप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं। जहां बैंकिंग की कवरेज है, वहां IPPB बैंक उस गांव में जाएगा, जहां बैंकिंग की कवरेज न हो। यह हम लोगों का चिंतन है और हमारा लक्ष्य है। जहां तक बिहार के डेटा की बात की है, वह मैं माननीय सांसद जी को उपलब्ध करवा दूंगा।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 4.

Connectivity of Gram Panchayats

[#]*4. SHRI MAYANKKUMAR NAYAK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

[#] Original notice of the question received in Hindi.

Contents Page

(a) the number of Gram Panchayats that have been made service-ready for high-speed broadband services under the BharatNet project, as per the latest available report, State/UT-wise;

(b) the length of optical fibre cable laid, so far, under BharatNet for connecting rural areas;

(c) the number of Fiber-to-the-Home (FTTH) connections and Wi-Fi hotspots provided in rural areas, so far; and

(d) the current stage of implementation and the proposed timeline for connecting the remaining Gram Panchayats?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As of December, 2025, a total of 2, 14, 904 GPs has been made service ready. Details are placed at **Annexure**.

(b) As of December, 2025, a total of 6, 94, 911 KM (approx.) of Optical Fibre Cable (OFC) has been laid for high-speed broadband services under BharatNet project.

(c) A total of 14, 07,784 Fiber to the Home (FTTH) connections (with Wi-Fi technology enabled) have been provided through Bharat Net, as of December, 2025.

(d) Amended BharatNet Program (ABP) has been approved under Design, Built, Operate and Maintain (DBOM) model for up-gradation of existing network of BharatNet Phase-I and Phase-II, creation of network in balance GPs, Operation and Maintenance for 10 years and utilization.

Annexure

Status of BharatNet project (as of Dec, 2025)

S.No.	State/UT	Phase-I and Phase-II scope	Service ready on OFC	Service ready on Satellite	Total Service ready (OFC + Satellite)
1	Andaman and Nicobar	72	68	4	72

Contents Page

S.No.	State/UT	Phase-I and Phase-II scope	Service ready on OFC	Service ready on Satellite	Total Service ready (OFC + Satellite)
2	Andhra Pradesh	12,955	12,935	20	12,955
3	Arunachal Pradesh	1,156	77	1,047	1,124
4	Assam	1,507	1,502	5	1,507
5	Bihar	8,340	8,324	16	8,340
6	Chandigarh	12	12	0	12
7	Chhattisgarh	10,031	9,681	14	9,695
8	Dadra and Nagar Haveli	20	20	0	20
9	Daman and Diu	18	18	0	18
10	Goa	0	0	0	0
11	Gujarat	14,320	14,294	26	14,320
12	Haryana	6,082	6,082	0	6,082
13	Himachal Pradesh	411	252	158	410
14	Jammu and Kashmir	1,105	413	688	1,101
15	Jharkhand	4,393	4,376	14	4,390
16	Karnataka	6,084	6,084	0	6,084
17	Kerala	978	977	1	978
18	Ladakh	193	0	193	193
19	Lakshadweep	10	0	9	9
20	Madhya Pradesh	17,850	17,812	38	17,850
21	Maharashtra	27,689	24,569	6	24,575
22	Manipur	1,536	315	1,160	1,475
23	Meghalaya	719	122	576	698

Contents Page

S.No.	State/UT	Phase-I and Phase-II scope	Service ready on OFC	Service ready on Satellite	Total Service ready (OFC + Satellite)
24	Mizoram	541	41	499	540
25	Nagaland	236	116	120	236
26	Odisha	6,788	6,741	44	6,785
27	Puducherry	98	98	0	98
28	Punjab	12,668	12,664	4	12,668
29	Rajasthan	8,776	8,746	30	8,776
30	Sikkim	173	26	9	35
31	Tamil Nadu	12,525	10,869	0	10,869
32	Telangana	12,733	10,833	0	10,833
33	Tripura	740	598	142	740
34	Uttar Pradesh (E)	34,439	34,263	11	34,274
35	Uttar Pradesh (W)	12,472	12,449	23	12,472
36	Uttarakhand	1,994	1,819	174	1,993
37	West Bengal	2,677	2,674	3	2,677
	Total	2,22,341	2,09,870	5,034	2,14,904

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shri Mayankkumar Nayak.

SHRI MAYANKKUMAR NAYAK: Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity. महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संचार क्षेत्र में नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव और शहरों को मजबूत करने के लिए सरकार ने आने वाले दिनों में क्या-क्या प्रयोजन किए हैं, उनके बारे में देश को अवगत कराएं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

Contents Page

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधियाः महोदय, मैं माननीय सांसद जी को बताना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न का सवाल है, भारतनेट पर है। एक सुदृढ़ हाई-वे बनाने के लिए भारतनेट हमारी बहुत महत्वकांक्षी योजना है, जिसके आधार पर भारत के हर नागरिक को विश्व से संपूर्ण कनेक्टिविटी मिल पाए। BharatNet I and II में हम लोगों का उद्देश्य 2,22,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए था और हमने करीब 7 लाख किलोमीटर की OFC fibre lay की है और 2,15,000 के करीब ग्राम पंचायतों को हमने जोड़ दिया है। हमारी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती है। हमारे देश के अंदर साढ़े छह लाख गांव हैं, उनको भी जोड़ने का एक निर्णय और संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। इसी के आधार पर 2023 के अंत में Amended BharatNet की योजना भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत मैं सदन के पटल पर यह वाक्य रखना चाहता हूं। पूरे विश्व की सबसे बड़ी Capital Expenditure Programme, broadband network को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए यह योजना है। यह 1 लाख, 40 हज़ार करोड़ रुपये की, 16 बिलियन डॉलर्स की योजना है। इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें भारतनेट 1 और 2 परियोजना में जोड़ी गई थीं, उनमें से कुछ linear topology में थीं और ring topology में नहीं थीं, उस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि linear topology और ring topology में यह अंतर है कि अगर एक तरफ से वायर कट जाए, तो बाकी सारे गाँव भी कट जाते हैं, लेकिन ring topology में अगर एक तरफ से वायर कट जाए, तो भी दूसरा कनेक्शन लाइव रहता है, जिससे 100 प्रतिशत रिडंडेंसी रहती है। महोदय, हम उन ग्राम पंचायतों को linear topology से ring topology में लाएंगे और करीब-करीब, बाकी 50 हज़ार ग्राम पंचायतों को भी जोड़ेंगे। यह एक बहुत ही महत्वाकाँक्षी योजना है, जिसके आधार पर भारत के हरेक नागरिक के घर तक broadband service, 25 Mbps को पहुँचाया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Mayankkumar Nayak.

श्री मयंककुमार नायकः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गुजरात के कुल 14 हज़ार, 230 और ओएफसी पर सेवा-सक्षम 14,294 गाँवो को यह सेवा मिली है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह पूछना है कि बाकी ग्राम पंचायतों को ये सुविधाएँ कब तक मिलेंगी? कुछ ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के बावजूद भी इंटरनेट सेवा बाधित या अनुपयोगी रहती है, क्या ऐसी ग्राम पंचायतों और जिलों की पहचान कर समयबद्ध सुधार हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधियाः सभापति महोदय, गुजरात ने State-led model के आधार पर भारतनेट 2 परियोजना का क्रियान्वयन किया था। मतलब, राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के आधार पर इसको तय किया था। हमारे फेज 1 और फेज 2 मिलाकर, 14,320 ग्राम पंचायतों के टारगेट थे। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि भारतनेट 1 और भारतनेट 2 परियोजना के तहत उस टारगेट को 100 प्रतिशत संपूर्ण किया गया है। इसी के साथ-साथ Amended BharatNet Programme में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम कुल मिलाकर 14,264 ग्राम पंचायतों को अपग्रेड कर रहे हैं, इसी के साथ उन 23 ग्राम पंचायतों को ring topology में भी कंवर्ट कर रहे

Contents Page

हैं, जो linear topology में रह गई थीं। हम करीब-करीब 30 हज़ार किलोमीटर का नया OFC ले करेंगे और गुजरात के जो बाकी गाँव हैं, जो 3,895 हैं, उनको demand basis पर कनेक्ट करेंगे। हमने इसके लिए गुजरात के लिए CAPEX पर कुल लागत 2,304 करोड़ रुपये आवंटित की है। इसके साथ ही OPEX भी — क्योंकि पिछली योजना में हम लोगों के द्वारा निर्धारित बजट में operating expenses नहीं रखे गए थे, जिसके आधार पर कई कठिनाइयाँ आई थीं, इसलिए इस बार इस 1 लाख, 40 हज़ार करोड़ रुपये की योजना में दस साल के लिए कैपेक्स भी है और ओपेक्स भी है। गुजरात के लिए दस साल का ओपेक्स 3,304 करोड़ है। इस तरह से कुल मिलाकर करीब-करीब 5,691 करोड़ की राशि इस योजना के लिए दी गई है। महोदय, quadripartite agreement साइन हो चुका है, Gujarat Government, GFGNL, Digital Bharat Nidhi and BSNL के बीच 24 जून, 2025 को। GFGNL ने project implementation agency को निर्धारित करने के लिए 19.1.2025 को RFP float कर दिया है और State NOC के लिए 3 मार्च, 2025 को bids evaluate की जा रही है, जिसके बारे में हम जल्द से जल्द सूचित करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Ramji — not present. Third supplementary — Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara.

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा: माननीय सभापति जी, मुझे प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को भारतनेट परियोजना के लिए धन्यवाद देते हुए यह पूछना चाहती हूं कि जिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पंचायतें स्थित हैं, उन्हें उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवा प्राप्त कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: सभापति जी, मैंने आपके द्वारा सूचित किया था कि हमारे 2 लाख 65 हजार ग्राम पंचायतों को रिंग टेपोलॉजी में क्रियान्वयन करके, हम लोग ये ब्रॉडबैंड हाईवे तय करेंगे और पूरे देश के बाकी 3 लाख 80 हजार गाँवों को यह डिमांड बेसिस पर दिया जाएगा। जहाँ भारतनेट उद्यमी, मतलब एक ऑन्ट्रोप्रेन्योर को ग्राम के हर वासी को कनेक्टिविटी देने का अवसर दिया जाएगा। उस भारतनेट उद्यमी को कैपिटल सब्सिडी और ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इसी के साथ, हम लोगों ने आज तक हमारे करीब-करीब 7,570 भारतनेट उद्यमी ऑलरेडी चुन लिए हैं। यह योजना भी क्रियान्वित हो रही है, जैसे अमेंडेड भारतनेट योजना क्रियान्वित हो रही है।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Akhilesh Prasad Singh.

SHRI AKHILESH PRASAD SINGH: Sir, I would like to know from the hon. Member whether it is correct that BharatNet has missed multiple deadlines -- 2014, 2015, 2019, 2023 and 2025. What are the reasons thereof? Is this on account of failed last mile connectivity, linear architectural failure, lack of maintenance or 'paper failure'?

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: सभापति महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रश्न रखा है, तो मैंने सदन के पटल पर ऑलरेडी रखा है कि हमारी करीब-करीब 2 लाख 22 हजार ग्राम पंचायतें, जो भारतनेट

Contents Page

वन एंड टू के लिए रेखांकित की गई थीं, उनमें से करीब 2 लाख 15 हजार ग्राम पंचायतों को ऑलरेडी कनेक्टिविटी दी गई है। इसका मतलब कि हमारा 97 परसेंट एक्ज़ीक्यूशन हुआ है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस तीन परसेंट की कमी के लिए कुछ कारण हैं और 97 परसेंट में भी कुछ कमियाँ रही हैं, जिसका उल्लेख भी मैंने अपने पिछले उत्तर में किया था। जहाँ तक तीन परसेंट की कमियों की बात है, तो उनका एक कारण यह है कि कई-कई जगहों पर बहुत पहाड़ी इलाके हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, माउंटेनियस रीजन्स हैं। तो उन तीन परसेंट क्षेत्रों में अभी तक वह कनेक्टिविटी, मतलब 2 लाख 15 हजार माइनस 2 लाख 22 हजार - सात हजार ग्राम पंचायतों में अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरा कारण, कुछ इलाके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं। तीसरा कारण, हम लोगों को राइट ऑफ वे में बहुत कठिनाई हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने एक नए बिल में राइट ऑफ वे का गज़ेट नोटिफिकेशन भी पारित किया है, ताकि इसे हर राज्य सरकार के द्वारा एक नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का क्राइटीरिया दिया जाए। आज भी मैं कई राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रहा हूँ कि राइट ऑफ वे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ, कई मॉडल State-led भी थे। अब अमेंडेड भारतनेट के द्वारा इन सभी चीजों को आगे ले जाने के लिए हम लोगों का एक संकल्प है। पहला, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग लीनियर आर्किटेक्चर से रिंग आर्किटेक्चर में जा रहे हैं। एक टेक्निकल टर्म है - इसमें जो जीपॉन इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे ज्यादा उत्कृष्ट एमपीएलएस इक्विपमेंट, जो कि मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग सिस्टम है, उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है और केंद्र सरकार के लेवल पर एक सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (CNOC) भी स्थापित किया जा रहा है। इसी के तहत हम लोग अमेंडेड भारतनेट का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Dr. M. Dhanapal.

DR. M. DHANAPAL: Sir, the hon. Minister has stated in his reply that a total of 14, 07,784 Fibre to the Home (FTTH) connections have been provided through BharatNet. I would like to know whether these connections to homes are chargeable or free for the people.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, the whole concept here is to empower the entrepreneur in India. Our target is to provide 1.5 crore FTTH connections at the grassroots level. As I have already mentioned, we have provided 14,07,784 connections. As the network gets laid out, as the first mile and middle mile network is put into place, the last-mile connectivity will come in. I have already mentioned, our distribution strategy is through our BharatNet Udyamis, who will be our entrepreneurs at the village level, we provide that connectivity. We are giving subsidy to our BharatNet Udyamis to make sure that they are empowered enough to be able to provide that

Contents Page

connectivity. As far as Tamil Nadu is concerned, the total FTH connections, as of date, out of the 14 lakh, is about 800-odd. But that will increase as the network gets rolled out.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.5.

Encouraging private sector in space programmes

*5. SHRI KARTIKEYA SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of steps taken to transition India from a State-led space programme to a global 'Space Manufacturing Hub';

(b) the details of Technology Transfer Agreement done with private sector for SSLV; and

(c) the steps taken to ensure that the private sector captures a significant part of global share on satellite launch market?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government of India is taking the following steps to transition India from a state-led space program to a global 'Space Manufacturing Hub"

i. The space sector has been liberalised and private sector allowed to carry out end to end space activities.

ii. Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) was created in Department of Space for promoting, authorizing and overseeing the activities of non-government entities (NGEs) in Space Sector.

iii. The Indian Space Policy – 2023 has been formulated by the Government to provide regulatory certainty to space activities by various stakeholders, in order to create a thriving space ecosystem.

iv. In order to ease access to foreign capital by Indian NGEs, the Central Government has brought out revised FDI policy for Space Sector.

Contents Page

v. Decadal vision and strategy for Indian space economy is also announced by IN-SPACe, which envisages to increase the share of India in global space economy.

(b) IN-SPACe, ISRO, NewSpace India Limited (NSIL) have signed the Technology Transfer Agreement with M/s. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) to enable HAL to independently manufacture Small Satellite Launch Vehicle (SSLV). Under the Technology Transfer agreement, HAL will gradually transition to independent SSLV production contributing India's space program.

(c) Same as (a) above

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Will the Government inform the House of the number of Indian private sector entities that have been on-boarded across launch vehicles, satellites, propulsion systems and spray-skid electronics since the establishment of IN-SPACe and the cumulative amount of private investment mobilised during this period?

DR. JITENDRA SINGH: I am glad that the hon. Member has asked this question. This gives us an opportunity to share some of the recent achievements in the space sector. As he has truly mentioned in his Question as well, India is fast emerging as a hub of space manufacturing, entrepreneurship and economy. Before I enumerate various private sectors and parties which are involved, it is also important to mention over here that all this has happened in the last few years. We never had dearth of talent or their expertise or their commitment or their aspirations in ISRO. We have seen our scientists giving everything in the service of the space programme. The two founding fathers, namely, Dr. Sarabhai from Gujarat and Dr. Satish Dhawan from Jammu and Kashmir, put their entire heart and soul into this. But, what was possibly lacking was an enabling milieu which, as the hon. Member rightly mentioned, happened after 2019, when the Government decided to set up New Space India Limited and also to open up the space sector to private players. This was one of the most path-breaking decisions of the Government and the credit goes to hon. Prime Minister Modi *ji* for having broken many taboos of the past and that was followed by the constitution of IN-SPACe, a single-window interface between the private sector and the public sector. The results have been enormous. We were just about a decimal economy in the space sector. Today, we are at 8.4 US billion dollars. In 8-10 years, we hope to go up by 4-5 times, maybe to 40-45 US billion dollars. We were just a single-digit start-up. Today, as of date, we are 399. As far as our engagement in the public-private sector is concerned, the Hindustan Aeronautics Limited has already signed a technology of transfer agreement with ISRO for small satellite launch vehicle. If I go into detail, it will take very long. But,

Contents Page

I can just name a few of them because of his interest in the space sector. We have the PixxelSpace India Limited. We have Agnikul, which is realising our rocket engines. We have Skyroot, which is going to launch its Vikram-1 shortly this year itself. We have Dhruv Space, again at Hyderabad, which is using Falcon 9. We have Digantara. We have Galaxy Eye. We have Anant Technology. So, we have a host of these. The other aspect of this is that we also now have increased the revenue, which is being generated by the launch of foreign satellites. For example, out of the 434 foreign satellites launched since ISRO undertook this initiative, as many as 399 were launched after 2014 when Prime Minister Modi *ji* took over. As a result of this, India has so far earned as many as 323 million Euros and 233 million US dollars. So, in a nutshell, I can also reasonably claim that, in times to come, in the future growth of India's economy, space is going to be a very important contributor. Space is one of the sectors which has remained possibly underexplored or unexplored till now.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials*]*

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table. Shrimati Nirmala Sitharaman.

1.00 P.M.

PAPERS LAID ON THE TABLE- *Contd.*

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Economic Survey, 2025-26 along with Statistical Appendix.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet one hour after the presentation of the Union Budget, 2026-27, in the Lok Sabha on Sunday, the 1st February, 2026.

The House then adjourned at one minute past one of the clock till Sunday, the 1st February, 2026.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)